


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2014/श्रावण 30, 1936

No. 435]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2014/SRAYANA 30, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 800(अ).—केंद्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 के साथ पठित धारा 43 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कर्मचारी (भर्ती और अन्न लेदा शर्तें) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) अभिप्रेत

है ;

(ख) "शैक्षणिक कर्मचारिवृंद" से (अनुसंधान सहकारी, सहायक आचार्य, सह-आचार्य,

आचार्य) के संकाय पदों और परामर्शियों के पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ग) संस्थान के किसी पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से उस पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) "उधार में लिया गया कर्मचारी" से किसी ऐसे प्राधिकरण का कर्मचारी अभिप्रेत है जिसकी सेवाएं संस्थान द्वारा उधार पर ली गई हैं ;

(ड) "कर्मचारी" से संस्थान के मंजूर किए गए किसी पद पर संस्थान में सेवारत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(च) "अन्यत्र सेवा" से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जिसके लिए कोई कर्मचारी, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से संस्थान की निधि से भिन्न किसी स्रोत से अपना वेतन प्राप्त करता है ;

(छ) "संस्थान" से भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1862(अ), तारीख 30 अक्टूबर, 2006 द्वारा गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान अभिप्रेत है ;

(ज) "वेतन" से सुसंगत तारीख की अनुज्ञेय वेतन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विशेष वेतन और निजी वेतन तथा उधार में लिए गए कर्मचारियों की दशा में प्रतिनियुक्ति भत्ता भी है किंतु इसके अंतर्गत कोई अन्य भत्ते, फीस या मानदेय सम्मिलित नहीं हैं ;

(झ) "स्थायी पद" से समय सीमा के बिना स्वीकृत निश्चित वेतन दर वाला पद अभिप्रेत है ;

(ञ) किसी ग्रेड के संबंध में "नियमित सेवा" से विहित प्रक्रिया के अनुसार और परिवीक्षा अवधि पूरी करने के पश्चात् किसी मंजूर किए गए पद पर नियुक्ति अभिप्रेत है ;

(ट) "मंजूरी प्राधिकारी" से

(i) समूह क पदों के संबंध में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(ii) समूह क और समूह ग पदों के संबंध में कार्यकारी निदेशक अभिप्रेत है ;

(ठ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ड) "अस्थायी कर्मचारी" से किसी अस्थायी पद पर अस्थायी कर्मचारी की सेवा या किसी स्थायी पद पर स्थानापन्न सेवा अभिप्रेत है ;

(ढ) "अस्थायी पद" से किसी सीमित समय के लिए एक निश्चित वेतन दर वाले पद अभिप्रेत है ;

(ण) "शासी निकाय" से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 42 की उपधारा (4) के अधीन गठित संस्थान का शासी निकाय अभिप्रेत है ।

भाग 2

भर्तियों के निबंधन और शर्तें

3. पदों के नाम, संख्या, वर्गीकरण आदि.-

संस्थान के विभिन्न प्रवर्गों के पदों के नाम, संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन वे होंगे जो अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्तियों की पद्धति, आयुसीमा और अन्य अर्हताएं आदि.-

भर्तियों की पद्धति, आयुसीमा और अन्य अर्हताएं आदि वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. प्रारंभिक गठन.-

(1) नियमित वेतन और ग्रेड वेतन बैंड वाले विभिन्न पदों पर नियुक्त सभी कर्मचारियों को इन नियमों के अधीन संस्थान में उनकी सेवा की तारीख से क्रमशः उनके पदों पर नियुक्त समझा जाएगा ।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारियों द्वारा संस्थान में की गई सेवाओं को संस्थान में उनकी सेवा की तारीख से प्रोन्नति, पूर्ण, परिवीक्षा अवधि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा ।

भाग 3

नियुक्ति, सेवा निवृत्ति और त्याग पत्र

6. ज्येष्ठता.- प्रत्येक प्रवर्ग में कर्मचारी की ज्येष्ठता, उस योग्यता क्रम द्वारा अवधारित की जाएगी जिसमें उस श्रेणी में नियुक्ति के लिए उनका चयन किया गया था और संस्थान में उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख को अभिप्राप्त उसकी सापेक्ष ज्येष्ठता द्वारा शासित होगी।

7. परिवीक्षा.- (1) सीधी भर्ती द्वारा संस्थान में से किसी पद पर नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी अनुसूची के स्तंभ (9) में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

परंतु कार्यपालक निदेशक, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे मामलों में, जो आवश्यक समझे जाएं, परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगा :

परंतु यह और कि परिवीक्षा अवधि बढ़ाए जाने का कोई विनिश्चय, परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त होने के पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा और संबंधित कर्मचारी को, ऐसा करने के कारणों सहित लिखित में संसूचित किया जाएगा।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि, किसी भी दशा में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा अवधि के आधे से अधिक नहीं होगी।

(3) परिवीक्षा अवधि या उसकी कोई विस्तारित अवधि पूरी होने पर कर्मचारियों को, यदि नियुक्ति के लिए ठीक समझे जाते हैं, नियमित आधार पर उनकी नियुक्तियों में प्रतिधारित किया जाएगा और ऐसी परिवीक्षण की समाप्ति के आठ सप्ताह के भीतर पुष्टि की जाएगी।

(4) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या उसकी किसी विस्तारित अवधि के दौरान संस्थान की यह राय है कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है तो संस्थान, अभ्यर्थी को, यथास्थिति, सेवोन्मुक्त या इस नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा या ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

8. विभिन्न पदों पर सभी नियुक्तियां, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से संस्थान द्वारा की जाएंगी।

9. योग्यता और पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र.- कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक -

(क) वह स्वयं अपने खर्चे पर संस्थान द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी चिकित्सा व्यवसायी से विहित रूप विधान में शारीरिक स्वस्थता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है:

परंतु छह मास से कम की अवधि के लिए अस्थायी नियुक्ति हेतु ऐसा कोई प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं होगा।

परंतु यह और कि छह मास से अधिक किसी विस्तारण के लिए शारीरिक स्वस्थता चिकित्सा प्रमाणपत्र अपेक्षित होगा।

(ख) नियुक्त प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि उसका उत्तम चरित्र और पूर्ववृत्त है।

10. भारत के किसी भाग में सेवा का दायित्व.- संस्थान के कर्मचारी भारत में किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए दायी होंगे।

11. प्रतिनियुक्ति.- कोई कर्मचारी जिसकी प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की जाती है, अनुशासन, आचरण, भविष्य निधि, पेंशन संबंधी फायदे, छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत, सामूहिक बीमा स्कीम और संबंधित विषयों के प्रयोजनों के लिए अपने मूल काडर के सेवा नियमों से शासित होगा।

12. निरहता.- वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है.

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उम्र व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

13. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किमी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

14. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

15. सेवा समाप्ति.-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा कारण नियत किए बगैर समाप्त की जा सकेगी।

(क) पहली नियुक्ति के अनुकरण में परिवीक्षा अवधि के दौरान और परिवीक्षा की ऐसी अवधि के पश्चात् और पुष्टि के पूर्व किसी भी समय पर लिखित में एक मास की सूचना द्वारा या यदि एक मास से कम सूचना है तो ऐसी अवधि के वेतन का संदाय करके या एक मास के वेतन का संदाय करके बिना किसी सूचना के,

(ख) संस्थान द्वारा कार्यान्वित किसी परियोजना में, जिसके अंतर्गत अनुसंधान परियोजनाएं भी हैं, कार्य करने के लिए नियुक्त अस्थायी कर्मचारी की दशा में सेवा समाप्ति की रीति और सूचना की अवधि वह होगी जो नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) उप नियम (1) के खंड (क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवाएं -

(क) यदि उसकी नियुक्ति किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए की गई है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी; या

(ख) यदि उसकी नियुक्ति किसी अस्थायी पद पर की गई है तो ऐसे पद की समाप्ति पर या ऐसी अवधि की समाप्ति पर जिसके लिए पद का सृजन किया जाता है, समाप्त हो जाएगी।

(3) किसी ऐसे कर्मचारी को जिसे उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन सेवा समाप्ति की सूचना दी जाती है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार सूचना की अवधि के दौरान उतनी अर्जित छुट्टी दी जा सकेगी जो उसे अनुज्ञेय हो।

16. धारणाधिकार (लियन).- संस्थान का स्थायी कर्मचारी, साधारणतया उसके द्वारा सारतः धारण किए गए पद पर दो से अनधिक वर्ष का धारणाधिकार (लियन) धारण कर सकेगा :

परन्तु अन्य संगठन में उसकी नियुक्ति उचित प्रणाली द्वारा की गई हो।

17. सेवा निवृत्ति.- कोई कर्मचारी, संस्थान से, --

(क) साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त हो जाएगा; या

(ख) उसे संस्थान द्वारा इस निमित्त पदाभिहित चिकित्सा बोर्ड द्वारा सेवा के लिए चिकित्सक दृष्टियों अयोग्य घोषित किए जाने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

18. स्वेच्छतया निवृत्ति.-

- (1) संस्थान के कर्मचारी जिन्होंने कम से कम बीस वर्ष की अर्हक सेवा की है, नियुक्ति प्राधिकारी को तीस मास की लिखित सूचना देकर स्वेच्छतया सेवा से निवृत्त हो सकेंगे :
परंतु योग्य दशाओं में नियुक्ति प्राधिकारी की सहमति से तीन मास से कम की अवधि की सूचना को स्वीकार किया जा सकेगा ।
- (2) यदि कोई कर्मचारी अर्जनशोध्य छुट्टी पर रहते हुए पुनः पदग्रहण किए वगैर स्वेच्छतया निवृत्ति के लिए आवेदन करता है तो सेवानिवृत्ति, अर्जनशोध्य छुट्टी के प्रारंभ की तारीख से प्रभावी होगी और ऐसी अर्जनशोध्य छुट्टी की वावत संदत्त छुट्टी संबलम् को वसूल किया जाएगा ।
- (3) किसी कर्मचारी को स्वेच्छतया निवृत्त की सूचना देने के पूर्व, उसे प्रशासन के प्रति निर्देश द्वारा अपना इस बात का समाधान करना होगा कि उसने वस्तुतः बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है ।
- (4) स्वेच्छतया निवृत्ति की सूचना तदनुसार, केवल नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से ही वापस ली जा सकेगी, परंतु ऐसी वापसी, सूचना की अवधि समाप्त होने के पूर्व की जानी चाहिए ।
- (5) बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् दी गई स्वेच्छतया निवृत्ति की सूचना के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित होगी, यदि सूचना की समाप्ति सेवानिवृत्ति की उस तारीख से पहले की है जिसको संबंधित कर्मचारी उसे लागू विद्यमान नियमों के अधीन सेवा निवृत्त हो सकता था ।
- (6) निम्नलिखित के सिवाय साधारणतया सभी मामलों में स्वीकृति दी जा सकेगी -
- (क) जहां कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां लंबित हैं या अनुव्यात की गई हैं और अनुशासनात्मक प्राधिकारी का, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह मत है कि सेवा के हटाए जाने या पदच्युति की शास्ति, मामले में आवश्यक हो सकती है ; या
- (ख) जहां संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध किसी न्यायालय में अभियोजन अनुव्यात है या प्रारंभ किया गया है ।
- (7) स्वेच्छतया निवृत्ति की सूचना-देने वाला कोई कर्मचारी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसकी स्वीकृति की उपधारणा कर सकेगा और सूचना के निबंधनों के अनुसार सेवानिवृत्ति प्रभावी हो जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी सूचना की अवधि की समाप्ति के पूर्व कोई प्रतिकूल आदेश न जारी करे ।
- (8) अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त संस्थान के कर्मचारी, ऐसी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे ।
- (9) स्वेच्छतया निवृत्ति की सूचना देने वाला कोई कर्मचारी, सूचना की अवधि समाप्त होने के पूर्व उसके नाम जमा छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेगा जो सूचना की अवधि के साथ साथ उसे प्रदान की जा सकेगी ।

19. त्यागपत्र.-

- (1) कोई अस्थायी कर्मचारी, नियुक्ति प्राधिकारी को संबोधित करते हुए लिखित में एक मास की सूचना देकर संस्थान की सेवा से त्याग पत्र दे सकेगा।
- (2) कोई स्थायी कर्मचारी, नियुक्ति प्राधिकारी को संबोधित करते हुए लिखित में तीन मास की सूचना देकर संस्थान की सेवा से त्याग पत्र दे सकेगा ।
परंतु नियुक्त प्राधिकारी, इस नियम के अधीन कतिपय विशेष परिस्थितियों में त्याग पत्र देने हेतु लघु अवधि अनुज्ञात कर सकेगा ।

भाग 4
वेतन

20. प्रारम्भिक वेतन.-

(1) कोई कर्मचारी, किसी पद पर अपनी नियुक्ति के पश्चात्, उस पद से संलग्न वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में वेतन प्राप्त करेगा :

परंतु मंजूरी प्राधिकारी, उप नियम (2) के अधीन रहते हुए यह विनिश्चय कर सकेगा कि वह कर्मचारी वेतन बैंड में किसी उच्चतर स्तर का वेतन प्राप्त करेगा ।

(2) ऐसे नए पदों पर जिसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण या उससे अन्यथा कर्तव्यों या दायित्वों को ग्रहण करना या अदक्षता या कदाचार के कारण अथवा अनुरोध पर एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण अंतर्वलित है, नियुक्त या प्रोन्नत कर्मचारियों के वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान का नियतन समय-समय पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू नियमों के सदृश्य विनियमित किए जाएंगे

21. वेतनवृद्धि.- जब तक कि इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रतिधारित न किया गया हो, वर्ष की 1 जुलाई को वेतन के वेतनबैंड में, वेतनबैंड में वेतन और लागू ग्रेड वेतन के योग के तीन प्रतिशत की दर पर, उसे 10 के आगामी गुणक पर पूर्णक करते हुए वेतन वृद्धि दी जाएगी, परंतु यह कि कर्मचारी ने उस ग्रेड में सेवा के छह मास पूरे कर लिए हों ।

22. वेतनवृद्धि के लिए सेवा.- किसी पद के वेतनबैंड में वेतनवृद्धि के लिए निम्नलिखित सेवा को गणना में लिया जाएगा, अर्थात्:-

- (क) उसी या उच्चतर ग्रेड में उस पद पर या किसी अन्य पद पर कर्तव्यकाल, चाहे निरंतर हो अथवा नहीं,
- (ख) अन्यत्र सेवा में समतुल्य या उच्चतर पद पर कर्तव्यकाल; और
- (ग) असाधारण छुट्टी से भिन्न छुट्टी

परंतु मंजूरी प्राधिकारी, यह निर्देश दे सकेगा कि वेतनवृद्धि के लिए असाधारण छुट्टी को भी गणना में लिया जाएगा, यदि उसका यह ससाधान हो जाता है कि ऐसी छुट्टी रूग्णावस्था के कारण या किसी अन्य ऐसे कारण से की गई थी जो कर्मचारी के नियंत्रण के परे था ।

23. छुट्टी के दौरान वेतन.-

- (1) कोई कर्मचारी जो आकस्मिक छुट्टी या प्रतिकरात्मक छुट्टी या क्वाआरेन्टाईन छुट्टी पर है, कर्तव्यावधि के रूप में वेतन प्राप्त करेगा ।
- (2) कोई कर्मचारी, जो अर्जित छुट्टी, परिवर्तित छुट्टी पर है, ऐसा वेतन प्राप्त करेगा जो उसे छुट्टी पर जाने के पूर्व मिल रहा था ।
- (3) कोई कर्मचारी जो अर्धवेतन छुट्टी पर है, छुट्टी पर जाने के पूर्व उसके द्वारा प्राप्त किए जा रहे वेतन के आधे की दर पर वेतन प्राप्त करेगा ।
- (4) कोई कर्मचारी जो अध्ययन छुट्टी पर है ऐसी दर पर वेतन प्राप्त करेगा जो भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।
- (5) असाधारण छुट्टी पर किसी कर्मचारी को कोई वेतन अनुज्ञेय नहीं होगा ।
- (6) अर्जित छुट्टी पर गया कोई कर्मचारी ऐसे वेतन के समतुल्य छुट्टी वेतन प्राप्त करेगा जो उसे छुट्टी पर जाने के ठीक पहले मिल रहा था ।

24. निलंबन के दौरान वेतन.- निलंबित किसी कर्मचारी को, निलंबन के दौरान ऐसा जीवन निर्वाह भत्ता संदत्त किया जाएगा जो भारत सरकार के किसी कर्मचारी को अनुज्ञेय हो ।

25. विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन, मानदेय और फीस.- संस्थान किसी कर्मचारी के लिए विशेष परिस्थितियों ऐसा विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन, मानदेय या फीस ऐसी शर्तों पर मंजूर कर सकेगा जो मंजूर करने व प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए।

26. वेतन आहरण.-

- (1) कोई कर्मचारी उस पद के वेतन का हकदार होगा जिस पर उसे उस तारीख से, जिसको वह पद का कार्यभार ग्रहण करता है, नियुक्त किया जाता है।
- (2) संस्थान के कर्मचारियों का वेतन और भत्ते, मार्च मास के सिवाय उस मास के अंतिम कार्यदिवस को संदेय होंगे जिससे वे संबंधित हैं, तथापि मार्च मास के वेतन और भत्ते, अप्रैल के प्रथम कार्यदिवस को संदेय होते रहेंगे।
- (3) नियम 21 के अधीन अपेक्षित सूचना के बगैर संस्थान की सेवा से त्यागपत्र देने वाले कर्मचारी को, जब तक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए, ऐसा देय वेतन जो निकाला नहीं गया है, वेतन निकालने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

परंतु इस प्रकार निकालने के लिए अनुज्ञा न किया गया वेतन, एक मास के वेतन से अधिक नहीं होगा।

27. बोनस.—संस्थान के कर्मचारियों के लिए तदर्थ बोनस का संदाय उसी दर पर और उन्हीं सीमाओं के अधीन रहते हुए किया जाएगा जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू होता है।

भाग 5

भत्ते

28. भत्ते.—एसे सभी भत्ते, जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय हैं, संस्थान के कर्मचारियों को उन्हीं दरों पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू हैं, अनुज्ञेय होंगे।
29. निलंबन और निर्वाह अनुदान.—निलंबन और निर्वाह अनुदान से संबंधित नियम जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं संस्थान के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
30. यात्रा छूट रियायत.—संस्थान के कर्मचारी यात्रा छूट रियायत के लिए उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर हकदार होंगे जो समय-समय पर समतुल्य ग्रेड के केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय हैं।
31. भत्तों का आहरण.—

- (1) किसी कर्मचारी को किसी मास के लिए अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता, परिवहन भत्ता और मकान किराया भत्ता, कर्मचारी के वेतन के साथ संदेय होगा।
 - (2) संस्थान के कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्तों, यात्रा छूट रियायतों और दैनिक भत्तों का निर्धारण संस्थान से लिए गए अभिदाय (एडवांस) यदि कोई हो, के समायोजन के उपबंधों के अधीन रहते हुए किया जाएगा।
 - (3) जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे, तब तक, संस्थान से विना सूचना के त्यागपत्र देने वाले कर्मचारी को, देय किन्तु आहरित नहीं किया गया भत्ता आहरित करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
- परंतु आहरित करने के लिए अनुज्ञा न किए गए भत्ते एक मास के भत्तों से अधिक नहीं होंगे।

32. प्रतिनियुक्ति और प्रशिक्षण भत्ता.—

- (1) संस्थान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को, संस्थान का वेतनमान और अन्य सेवा फायदे प्राप्त करने या उनके स्वयं के वेतनमान प्रतिधारित करने और इस विषय पर भारत सरकार के विद्यमान अनुदेश के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता पाने का विकल्प दिया जाएगा।

(2) संस्थान के कार्यपालक निदेशक, केन्द्रीय सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख को अनुज्ञेय दर पर सत्कार भत्ता लेंगे।

भाग-6
सुविधाएं

33. बाहरी चिकित्सा सुविधाएं.—

(1) संस्थान के कर्मचारी स्वयं और कुटुम्ब के घोषित सदस्यों हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण :

इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए "कुटुम्ब" पद का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में उक्तका है।

(2) वर्ष के दौरान बाहरी चिकित्सीय व्यय, वास्तविक व्यय या उस वर्ष की 1 जनवरी या एक मास का वेतन (मूल वेतन+महगाई भत्ता) इनमें से जो कम भी हो, तक सीमित होगा।

(3) दवा, डाक्टर की परामर्श पर्ची और डाक्टर द्वारा उपचार के और क्रय की गई औषधियों के मूल केंश मैमो या बिल के साथ समर्थित होना चाहिए।

(4) वर्ष के दौरान पद ग्रहण करने वाले संस्थान के कर्मचारियों की, वार्षिक हकदारी अनुपाततः के आधार पर निर्बंधित होगी।

(5) बाहरी चिकित्सा उपचार, संस्थान बनाए रखे गए पैतल से प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारकों से करवाया जाएगा।

अंतरंग रोगी चिकित्सा उपचार :

(1) अंतरंग रोगी चिकित्सा उपचार के प्रयोजन के लिए, संस्थान के कर्मचारी, संस्थान द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत चिकित्सालयों में चिकित्सा उपचार के हकदार होंगे, और इस प्रयोजन के लिए चिकित्सा व्यय जिसके अंतर्गत चिकित्सालय वास सुविधा, परिचर्या गृह सुविधा आदि भी है ऐसे केन्द्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 के उपबंधों के अनुसार होगा जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को लागू होते हैं।

(2) उपरोक्त उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत चिकित्सालय वही होंगे जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 द्वारा विनियमित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं।

(3) प्राधिकृत चिकित्सालय में चिकित्सा उपचार आपात स्थिति के सिवाय, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारकों की सलाह पर किया जा सकेगा।

34. ऋषिदाय (एडवांस).—त्यौहार-अग्रिम, मोटर कार-अग्रिम, व्यक्तिगत कंप्यूटर-अग्रिम, गृह निर्माण अग्रिम, पंखा अग्रिम आदि जैसे ऋषिदायों से संबंधित भारत सरकार के नियम संस्थान के कर्मचारियों को उन्हीं दरों पर और उन्हीं सीमाओं के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू होते हैं।

35. सामूहिक बीमा.—(1) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों से भिन्न संस्थान के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की परामर्श से सामूहिक बीमा के हकदार होंगे।

(2) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त संस्थान के कर्मचारी, ऐसी सामूहिक बीमा स्कीमों द्वारा शासित होते रहेंगे जो उनके मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में लागू होती हैं।

- (3) संस्थान, उपनियम (2) में निर्दिष्ट कर्मचारियों से बीमा स्कीमों मद्दे, प्रतिदाय वसूल करेगा और उरकम को तुरंत उधारदाता मंत्रालय या विभाग या संगठन को भेजेगा और उसके विलंब से भेजने के कारा हुई हानि संस्थान द्वारा पूरी की जाएगी।
36. सवारी भत्ता.—संस्थान के कर्मचारियों को सरकारी कार्य के लिए सरकारी वाहन का उपयोग करने या ऐसी रकम की प्रतिपूर्ति का विकल्प अनुज्ञात किया जाएगा जो समतुल्य वेतन और ग्रेड में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को अनुज्ञेय है।
37. टेलीफोन सुविधा.—संस्थान के कर्मचारी ऐसी टेलीफोन सुविधाओं के पात्र होंगे जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन पाने वाले अधिकारियों को अनुज्ञेय है।
38. सरकारी बैठकों के लिए व्यय.—संस्थान के कर्मचारी सरकारी बैठकों के लिए ऐसे व्यय के पात्र होंगे जो समतुल्य वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को अनुज्ञेय है।

भाग 7

छुट्टी

39. छुट्टी नियम.—केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यथा लागू, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 संस्थान के कर्मचारियों को भी लागू होंगे।
40. छुट्टी मंजूर करने की प्रक्रिया.—
- (1) कोई कर्मचारी छुट्टी पर जाने से पूर्व, संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करेगा, तथा उसमें छुट्टी के दौरान का अपना पता और टेलीफोन नंबर भी लिखेगा और संस्थान को उस पते में हुए किसी पश्चात्पूर्ती परिवर्तन की सूचना देगा।
 - (2) कार्यपालक निदेशक अध्ययन अवकाश से भिन्ना छुट्टी के सभी आवेदनों के निपटान के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।
 - (3) कार्यपालक निदेशक की दशा में केन्द्रीय सरकार छुट्टी मंजूर करने के लिए, जिसके अंतर्गत अध्ययन अवकाश भी है, सक्षम प्राधिकारी होगी।
 - (4) संस्थान, प्रत्येक कर्मचारी के लिये एक छुट्टी खाता रखेगा।

भाग 8

पेंशन और अन्य फायदे

41. (1) पेंशन : संस्थान के सभी कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम, 2004 के उपबन्ध और भारत सरकार द्वारा उसके अधीन जारी किए गए आदेश और निदेश लागू होंगे।
- (2) कैरियर समुन्नति : कैरियर समुन्नति के ऐसे उपबन्ध, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शैक्षणिक कर्मचारीवृद्ध को लागू होते हैं संस्थान के शैक्षणिक कर्मचारीवृद्ध को लागू होंगे।
- (3) उपान्तरित आश्वस्त कैरियर प्रगति : उपान्तरित आश्वस्त कैरियर प्रगति स्कीम के उपबन्ध जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू होते हैं, संस्थान के शैक्षणिक कर्मचारीवृद्ध को लागू होंगे।

भाग 9

आचरण, अनुशासन और शास्त्रियां

42. आचरण.—
- (1) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचार) नियम, 1964, संस्थान के कर्मचारियों को भी लागू होंगे।
 - (2) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1965 संस्थान के कर्मचारियों को भी लागू होंगे।

(3) जहाँ विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्धित है उसके सिवाय, संस्थान का शासी निकाय, अपने कर्मचारियों की बाबत उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये भारत संघ के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोक्तव्य हैं।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासन प्राधिकारी होगा और अपील प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग अगले वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(5) संस्थान द्वारा उधार में लिए गए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के सेवक कर्मचारियों की बाबत केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 का क्रमशः नियम 20 और नियम 21 लागू होंगे।

43. निलम्बन.-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी या उस प्राधिकारी से वरिष्ठ कोई अन्य प्राधिकारी, किसी कर्मचारी को निलम्बित कर सकेगा—

(क) यदि किसी ऐसे गम्भीर आरोप की बाबत, जिसके परिणाम, स्वरूप मुख्य शास्ति अधिरोपित की जाने की सम्भावना है, उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुध्यात की जाती है या लम्बित है, या

(ख) यदि किसी दांडिक अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई मामला अवेपणाधीन या विचारणाधीन है।

(2) ऐसे किसी कर्मचारी को जो किसी दांडिक आरोप के आधार पर या उससे अन्यथा अड़तालीस घंटे से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निलम्बित है नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा उसकी अभिरक्षा की तारीख से निलम्बित समझा जाएगा और अग्रिम आदेशों तक निलम्बित रहेगा।

(3) इस नियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया निलम्बन का कोई आदेश, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसने उसे दिया है या जिसके द्वारा दिया गया समझा गया है अथवा किसी वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

44. शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति.- नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम होगा, अर्थात् :

सारणी

क्र० सं०	कर्मचारीवृंद का प्रवर्ग	शास्तियां अधिरोपित करने वाले प्राधिकारी	शास्तियों के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समूह ख और समूह ग में से सभी अधिकारी और कर्मचारीवृंद	कार्यपालक निदेशक	मुख्य शास्तियां
2.	समूह ख और समूह ग में से सभी अधिकारी और कर्मचारीवृंद	संयुक्त निदेशक	मुख्य शास्तियां
3.	समूह क	केन्द्रीय सरकार	सभी शास्तियां

45. उधार में लिए गए कर्मचारियों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध.-

(1) जहाँ उधार में लिए गए किसी कर्मचारी के विरुद्ध निलम्बन का कोई आदेश दिया जाता है या कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है वहाँ तुरन्त उधार देने वाले प्राधिकारी को यथास्थिति निलम्बन आदेश या अनुशासनात्मक कार्यवाहियां प्रारम्भ करने सम्बन्धी आदेश की परिस्थितियों के बारे में सूचित किया जाएगा।

(2) ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए-

(क) यदि शास्ति अधिरोपित करने वाले प्राधिकारी की यह राय है कि उस पर कोई मुख्य शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह उसकी सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के अधिकार में दे देगा और ऐसी कार्रवाई के लिए जो वह ठीक समझे, जांच की कार्यवाहियां उसे पारंपित करेगा ; और

(ख) यदि शास्ति अधिरोपित करने वाले प्राधिकारी की यह राय है कि उस पर कोई अन्य शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह उधार देने वाले प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे :

परन्तु उधार देने वाले प्राधिकारी और शास्ति अधिरोपित करने वाले प्राधिकारी की भिन्न-भिन्न राय होने की दशा में कर्मचारी की सेवा उधार देने वाले प्राधिकारी के निर्णयानुसार की जाएगी।

व्यष्टीकरण : इन नियमों के प्रयोजनों के लिए "उधार देने वाले प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसने उधार दिए गए कर्मचारी की सेवाएं संस्थान के अधिकार में नियत की हैं।

भाग 10

अपील और पुनर्विलोकन

46. अपील प्राधिकारी.- केन्द्रीय सरकार के इन नियमों के अधीन कार्यपालक निदेश द्वारा किए गए किसी मूल आदेश की अपील केन्द्रीय सरकार को और कार्यपालक निदेशक की पंक्ति से निम्नतर पंक्ति के किसी प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश की अपील कार्यपालक निदेशक को की जाएगी।

47. अपील के लिए परिसीमा काल.- कोई अपील उस तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर ही प्रस्तुत की जाएगी जिसको वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जाती है, सम्बंधित व्यक्ति को संसूचित किया जाता है :

परन्तु अपील प्राधिकारी, उक्त अवधि की समाप्ति पर अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास समय के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था।

48. अपीलों का प्रारूप, उसकी अन्तर्वस्तुएं और उसका प्रस्तुत किया जाना.-

- (1) अपील प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पृथक रूप से और अपने स्वयं के नाम से अपील करेगा।
- (2) अपील, अपील प्राधिकारी को सम्बोधित की जाएगी, जिसमें ऐसे सभी तात्विक कथन और दलीलें अंतर्विष्ट होंगी जिसका अपीलार्थी ने अवलम्ब लिया है, उसमें कोई अनावर सूचक या अनुचित भाषा अंतर्विष्ट नहीं होगी और यह अपने आप में पूर्ण होगी।
- (3) प्रत्येक अपील कार्यपालक निदेशक को प्रस्तुत की जाएगी, यदि वह अपील प्राधिकारी नहीं है तो वह उसे अपील प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

49. अपील पर विचार करना.- अपील प्राधिकारी, प्रत्येक अपील पर विचार करेगा और ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे :

परन्तु वर्धित शास्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक अपीलार्थी कोई ऐसा अभ्यवेदन करने का जो वह ऐसी वर्धित शास्ति के विरुद्ध करना चाहे, अवसर नहीं दे दिया जाता है।

50. पुनर्विलोकन.- पुनर्विलोकन के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 संस्थान के कर्मचारियों को भी लागू होंगे।

51. पुनःबहाली के आदेश.- जहां किसी ऐसे कर्मचारी की जिसे पदच्युत या निलम्बित किया गया है, पुनःबहाली की जाती है, वहां पुनःबहाली करने वाला प्राधिकारी यह विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश करेगा कि-

(क) क्या कर्मचारी को अनुज्ञेय वेतन और भत्तों के अतिरिक्त कर्तव्य काल से उसकी अनुपस्थिति की अवधि का कोई वेतन और भत्ते दिए जा सकेंगे या नहीं ;

(ख) क्या ऐसी अवधि को सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए कर्तव्यारूढ अवधि के रूप में माना जा सकेगा या नहीं।

भाग 11

विनियम

52. कर्मचारियों के लिए निवास स्थान.-

(1) संस्थान के कर्मचारियों को, अपने स्वयं के परिसर में ऐसे भवनों का निर्माण पूरा होने के पश्चात् असुसज्जित निवास स्थान उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

(2) संस्थान के कर्मचारियों को संस्थान द्वारा, ऐसी समयावधि तक, अब तक उनके स्वयं के परिसर विकसित नहीं हो जाते हैं और भवनों का निर्माण नहीं हो जाता है, पट्टे पर असुसज्जित निवास स्थान उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

परन्तु इस नियम के अन्तर्गत ऐसे निवास स्थान की अनुज्ञप्ति फीस, समय-समय पर यथा संशोधित मूल नियम 45ए के उपबन्धों के अनुसार प्रभारित की जाएगी।

(3) संस्थान के कर्मचारी, जिसके अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी भी हैं ऐसे सकान किराए भत्ते के हकदार होंगे जो समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय है।

53. अवकाश के दिन.- संस्थान में ऐसे अवकाश होंगे जो दिल्ली स्थित कार्यालयों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं।

54. सेवा पुस्तिका और चरित्र पुस्तक.-

(1) संस्थान, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां उपबर्णित करते हुए जो शासी निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका और चरित्र पुस्तक रखेगा।

(2) किसी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियां, संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएंगी।

(3) किसी कर्मचारी की चरित्र पुस्तक में प्रविष्टियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

55. कार्यपालक निदेशक द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन.- कार्यपालक निदेशक शासी निकाय के अधीन रहते हुए, इन नियमों के अधीन उसमें निहित किन्हीं शक्तियों को संस्थान के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजन कर सकेगा।

56. सेवा की अवशिष्ट शर्तें.- किसी कर्मचारी की सेवा की शर्तों से सम्बंधित कोई ऐसा मामला, जिसके लिए इन नियमों में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, संस्थान द्वारा अवधारित किया जाएगा।

57. निर्वचन.- यदि इन नियमों के निर्वचन से सम्बंधित कोई प्रश्न उदभूत होता है तो उसका विनिश्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

समुच्चय

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. कार्यपालक निदेशक	1(एक)	समूह 'क'	वेतन बैंड 4, (37400--67000 रुपए) धन 10000 ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे चर्ची किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	चर्ची की पद्धति; चर्ची सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा चरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा या आमेलन द्वारा चर्ची की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		
(11)		
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या कानूनी या स्वशासी निकायों या विश्वविद्यालयों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी--		
(क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; और		
(ख) जो, अखिल भारतीय सेवाओं के अभ्यर्थियों के मामलों के सिवाय, निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-		
आवश्यक :		
(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या कानूनी या स्वशासी निकायों या विश्वविद्यालयों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित संगठनों में अठारह वर्ष का प्रशासनिक और शैक्षणिक अनुभव, जिसमें से प्रशासनिक/कानूनी या प्रबंधकीय पद धारण करने का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो।		
(ii) किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री।		
(iii) आपदा प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव और जानकारी।		
वांछनीय :		
आपदा प्रबंधन से संबंधित किसी विषय में पी.एच.डी. या एम.फिल.।		
टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया पांच वर्ष की होगी, जो सात वर्ष तक विस्तारित की जा सकेगी। तथापि, प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाहा पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई को 56 वर्ष होगी।		

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	चर्ची करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता।
1. संघ का गृह सचिव	-- अध्यक्ष
2. सचिव (सीमा प्रबंधन) या आपदा प्रबंधन का प्रभारी विशेष सचिव या अपर सचिव, गृह मंत्रालय	-- सदस्य
3. सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	-- सदस्य
4. अपर सचिव और स्थापना अधिकारी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	-- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. संयुक्त निदेशक	1* (एक) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	समूह 'क'	वेतन बैंड 4 (37400-67000/- रुपए) धन 8700/- ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या कानूनी या स्वशासी निकायों या विश्वविद्यालयों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी--

(क) (i) जिन्होंने मूल कांडर में वेतन बैंड 4 (37400-67000/- रुपए धन 8700/- ग्रेड वेतन) में नियमित आधार पर सदुपध धारण किया हुआ है; या

(ii) जिनकी 7600/- रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड 3 में पांच वर्ष की नियमित सेवा है; या

(iii) जिनकी 6600/- रुपए ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड 3 में दस वर्ष की नियमित सेवा है; और

(ख) जो, अखिल भारतीय सेवाओं के अभ्यर्थियों के मामलों के सिवाय, निम्नलिखित आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :-
आवश्यक :

(i) किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री।

और

(ii) वेतन बैंड 3 में 7600/- रुपए ग्रेड वेतन में पांच वर्ष अनुभव या किसी सदुपध पद में पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव या वेतन बैंड 3 (15600-39100/- रुपए) में 6600/- ग्रेड वेतन में न्यूनतम दस वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।

बांझनीय :

आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण/प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष की होगी, जो पांच वर्ष तक विस्तारित की जा सकती। तथापि, प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष होगी।

टिप्पण 3 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता।
1. सचिव (सीमा प्रबंधन) या आपदा प्रबंधन का प्रभारी विशेष सचिव या अपर सचिव, गृह मंत्रालय	-- अध्यक्ष
2. सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	-- सदस्य
3. मंत्रालय का, आपदा प्रबंधन का भार साधक, संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन)	-- सदस्य
4. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	-- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
3. आचार्य	3* (तीन) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	समूह 'क'	वेतन बैंड 4 37400-67000/- रुपए धन 10000/- ग्रेड वेतन

(5)	(6)
लागू नहीं होता	55 वर्ष से अनधिक। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।

(7)
<p>आवश्यक अर्हता :</p> <p>(i) सामाजिक विज्ञान/पर्यावरण/पृथ्वी विज्ञान/इंजीनियरी/आपदा प्रबंधन या सहवृद्ध विषयों में कम से कम 55% अंकों या समतुल्य श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>(ii) निरंतर उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड के साथ पी.एच.डी. ; और</p> <p>(iii) पुस्तकों और या अनुसंधान या तीनों विषयक कागजपत्रों का अनुक्रमणिकाबद्ध या अन्तरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांक/अन्तरराष्ट्रीय मानक क्रम संख्यांक संख्यांकित जर्नलों के रूप में और अन्तरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांक/अन्तरराष्ट्रीय मानक क्रम संख्यांक संख्यांकित पुस्तकों के रूप में न्यूनतम 10 प्रकाशनों के साथ साक्ष्य सहित प्रकाशित कृतियों अनुसंधान और प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से कार्यरत उच्च स्तर की प्रकाशित कृति ;</p> <p>(iv) विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में स्नातकोत्तर अध्यापन में कम से कम दस वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(v) प्रशिक्षण और शिक्षा, नवीन पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम की परिकल्पना, प्रशिक्षण मापदंडों और प्रौद्योगिकी के विकास करने के लिए योगदान।</p> <p>वैधानिक अर्हता :</p> <p>(i) डाक्टरेट स्तर पर अनुसंधान के लिए अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करने का अनुभव ;</p> <p>(ii) सुसंगत क्षेत्र में प्रमाणित ध्याति सहित ऐसा उत्कृष्ट वृत्तिक, जिसने प्रत्यायकों द्वारा प्रमाणित संबंधित या सम्बद्ध अथवा सुसंगत विद्याशाखा के ज्ञान क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।</p>

(8)	(9)	(10)
हां	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)
<p>प्रोत्साहित द्वारा : जिसने श्रेणी में नियमित आधार पर आठ वर्ष की सेवा की है और जो पद के लिए स्तंभ (7) में दी गई आवश्यक अर्हताएं पूरी करता है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या कानूनी या स्वशासी निकायों या विश्वविद्यालयों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों में से, जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या सहयोगी आचार्य, जिसने श्रेणी में नियमित आधार पर आठ वर्ष की सेवा की है और जो पद के लिए स्तंभ (7) में दी गई आवश्यक अर्हताएं पूरी करता है।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष की होगी, जो पांच वर्ष तक विस्तारित की जा सकेगी। तथापि, प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर</p>

वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई को 56 वर्ष होगी।

टिप्पण 3: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।

(12)		(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्टि और प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--		लागू नहीं होता।
1. संघ का गृह सचिव या सचिव (सीमा प्रबंधन)	-- अध्यक्ष	
2. सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	-- सदस्य	
3. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन), गृह मंत्रालय	-- सदस्य	
4. संघीय गृह मंत्री द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के तीन विख्यात बाहरी विशेषज्ञ	-- सदस्य	
5. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था	-- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
4. सह आचार्य	4* (चार) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'क'	वेतन बैंड 3 15600-39100/- रुपए धन 7600/- ग्रेड वेतन

(5)	(6)
संलग्न नहीं होता	उम्र वर्ष की, जिसको विज्ञापन जारी किया जाता है, 1 जुलाई को 50 वर्ष। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।

(7)
(i) आवश्यक अर्हता : (i) सामाजिक विज्ञान/पर्यावरण/पृथ्वी विज्ञान/ इंजीनियरी/आपदा प्रबंधन या सहवृद्ध विषयों में कम से कम 55% अंकों या समतुल्य श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) संबंधित या संबद्ध विद्याशाखाओं में पी.एच.डी. डिग्री के साथ उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड। (ii) आवश्यक अनुभव :- (क) विश्वविद्यालयों/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का संकाय सदस्य (फैकल्टी), जो मूल कांडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ख) सहायक आचार्य के समतुल्य नियमित प्रास्थिति में अध्यापन का या अनुसंधान का कम से कम दस वर्षों का अनुभव; और (ग) पुस्तकों या अनुसंधान या नीति विषयक कागजपत्रों का अनुक्रमणिकावद्ध या अन्तरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांक या अन्तरराष्ट्रीय मानक क्रम संख्यांक संख्यांकित जर्नलों के रूप में और अन्तरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांक या अन्तरराष्ट्रीय मानक क्रम संख्यांक संख्यांकित पुस्तकों के रूप में न्यूनतम पांच प्रकाशनों के साथ साक्ष्य सहित प्रकाशित कृतियों; और (ii) बांछनीय अनुभव :- शैक्षणिक, नवीन पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम की परिकल्पना और प्रशिक्षण मापदंड विकसित करने तथा प्रौद्योगिकी परीक्ष अध्यापन शिक्षण प्रक्रिया के नवप्रवर्तन में योगदान।

(8)	(9)	(10)
हां	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)
<p>प्रोन्नति द्वारा : ऐसे सहायक आचार्यों में से प्रोन्नति द्वारा, जिसने श्रेणी में नियमित आधार पर दस वर्ष (या समतुल्य) की सेवा की है या अनुसंधान सहयोगी के स्तर पर सोलह वर्ष (या समतुल्य) की सेवा की है; और जिसका अच्छा शैक्षिक रिकार्ड है तथा जो पद के लिए स्तंभ (7) में दी गई आवश्यक अर्हताएं पूरी करता है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या कानूनी या स्वशासी निकायों या विश्वविद्यालयों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों/सहायक सदस्यों में से, जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>ऐसा सहायक आचार्य, जिसने श्रेणी में नियमित आधार पर दस वर्ष की सेवा की है और जिनके पास पद के लिए स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष की होगी, जो पांच वर्ष तक विस्तारित की जा सकेगी। तथापि, प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, विभाजन के वर्ष की 1 जुलाई को 56 वर्ष होगी।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (नियुक्ति और प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सचिव (सीमा प्रबंधन)/आपदा प्रबंधन प्रभाग का प्रभारी विशेष सचिव/अपर सचिव, गृह मंत्रालय -- अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन), गृह मंत्रालय -- सदस्य 3. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान -- सदस्य 4. सलाहकार/संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाला) -- सदस्य 5. गृह मंत्री द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाला, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र का एक विख्यात बाहरी विशेषज्ञ -- सदस्य 	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. परामर्शी	2* (दो) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'क'	वेतन बैंड 3 15600-39100/- रुपए धन 7600/- ग्रेड वेतन	हां
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	हां	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या कानूनी या स्वशासी निकायों या विश्वविद्यालयों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों में से, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।

या
वेतन बैंड 3 (15600-39100/- रुपए), 6600/- ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की सेवा वाले केंद्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्रों या कानूनी या स्वशासी निकायों या विश्वविद्यालयों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित संगठनों के अधीन अधिकारी या वेतन बैंड 3 (15600-39100/- रुपए), 5400/- ग्रेड वेतन में दस वर्ष की सेवा वाले केंद्रीय/राज्य सरकार के अधिकारी और जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हैं :-

(i) आवश्यक :-

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री।

(ii) बांझगीय :-

पी.एन.डी; या एम.फिल; या किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्थान या संगठन में तुल्यत क्षेत्र में एक वर्ष का प्रशिक्षण।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष की होगी, जो पांच वर्ष तक विस्तारित की जा सकती है। तथापि, प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : अल्पकालिक संविदा की अवधि साधारणतया तीन वर्ष की होगी, जो पांच वर्ष तक विस्तारित की जा सकती है।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई को 56 वर्ष होगी।

(12)	(13)
समूह 'क' विज्ञानीय प्रोन्नति समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता।
1. सचिव (सीमा प्रबंधन) या आपदा प्रबंधन प्रभाग का भारसाधक विशेष सचिव या अपर सचिव	-- अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन), गृह मंत्रालय	-- सदस्य
3. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	-- सदस्य
4. सलाहकार/संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा)	-- सदस्य
5. गृह मंत्री द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाला, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र का एक विख्यात बाहरी विशेषज्ञ	-- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
6. सहायक आचार्य	8* (आठ) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'क'	वेतन बैंड 3 15600-39100/- रुपए धन 5400/- ग्रेड वेतन

(5)	(6)
लागू नहीं होता	1. उस वर्ष की, जिसको विज्ञापन जारी किया जाता है, 1 जुलाई को 35 वर्ष। 2. केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।

(7)

अर्हता :

आवश्यक

सामाजिक विज्ञान/पर्यावरण/पृथ्वी विज्ञान/इंजीनियरी/आपदा प्रबंधन या सहवृद्ध विषयों में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या निरंतर उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड के साथ स्नातकोत्तर डिग्री के समतुल्य डिग्री।

वाछनीय

(क) संबन्धित या संबद्ध विद्याशाखाओं में एम.फिल. या पी.एच.डी. डिग्री।

(ख) नवप्रवर्तन शैक्षणिक, नवीन पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम की परिकल्पना, प्रशिक्षण मापदंड विकसित करने तथा प्रौद्योगिकी परीक्षा अध्यापन शिक्षण प्रक्रिया में योगदान।

(8)	(9)	(10)
हां.	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	50% प्रोन्नति द्वारा और 50% सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिनके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

(11)

प्रोन्नति द्वारा : ऐसे अनुसंधान सहयोगियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनके पास संस्थान में नियमित आधार पर आठ वर्ष का अनुभव है और जो स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं। परंतु जिनके पास पी.एच.डी. है, उनके मामले में न्यूनतम सेवा अवधि छह वर्ष होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या कानूनी या स्वशासी निकायों या विश्वविद्यालयों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित विश्वविद्यालयों या संस्थाओं के ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों में से, जो मूल कांडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष की होगी, जो पांच वर्ष तक विस्तारित की जा सकेगी। तथापि, प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई को 56 वर्ष होगी।

(12)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (नियुक्ति और प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

लागू नहीं होता।

1. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	-- अध्यक्ष
2. आपदा प्रबंधन से संबन्धित आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय का निदेशक/उप सचिव	-- सदस्य
3. निदेशक/संयुक्त सलाहकार/उप सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाला)	-- सदस्य
4. गृह सचिव द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाला संबद्ध विषय/क्षेत्र का एक विख्यात विशेषज्ञ सदस्य	-- सदस्य

(1)	(2)		(3)	(4)	
7. लेखा अधिकारी	1* (एक) 2013 *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)		समूह 'क'	वेतन बैंड 3 15600-39100/- रुपए धन 5400/- ग्रेड वेतन	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

(11)
<p>प्रोन्नति : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के ऐसे सहायक, जिन्होंने स्नातक की डिग्री के साथ 9300-34800 रुपए के वेतन बैंड 2 धन 4200/- ग्रेड वेतन में कम से कम आठ वर्ष सेवा की हो और जिनके पास बजट और लेखा विषयों में काम करने का कम से कम छह वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :-</p> <p>(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी--</p> <p>(i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) जिन्होंने 9300-34800/- रु० के वेतन बैंड 2 धन 4800/- रु० ग्रेड वेतन में कम से कम दो वर्ष तक कार्य किया है; या</p> <p>(iii) जिन्होंने 9300-34800/- रु० के वेतन बैंड 2 धन 4600/- रु० ग्रेड वेतन में कम से कम तीन वर्ष तक कार्य किया है; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता है :-</p> <p>(i) जिनके केंद्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या</p> <p>(ii) जिनके सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य या समतुल्य में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो तथा जिनके पास रोकड़ लेख और बजट कार्य में एक वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>दिव्यण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष की होगी, जो पांच वर्ष तक विस्तारित की जा सकती। तथापि, प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काबज पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>दिव्यण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष होगी।</p> <p>दिव्यण 3 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (नियुक्ति और प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>1. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान -- अध्यक्ष</p> <p>2. निदेशक/उप सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय -- सदस्य</p> <p>3. निदेशक/संयुक्त सहायकार/उप सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाला) -- सदस्य</p> <p>4. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाला संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान/उसका प्रतिनिधि -- सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
8. प्रशासनिक अधिकारी	1* (एक) 2013 *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'क'	वेतन बैंड 3 15600-39100/- रुपए धन 5400/- ग्रेड वेतन

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

(11)

प्रोन्नति : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का ऐसा सहायक, जिसने स्नातक की डिग्री के साथ 9300-34800 रुपए के वेतन बैंड 2 धन 4200/- ग्रेड वेतन में कम से कम आठ वर्ष सेवा की हो और जिसके पास स्थापन और प्रशासनिक विषयों में काम करने का कम से कम छह वर्ष का अनुभव हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :-

(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का ऐसा अधिकारी--

(i) जिसने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) जिसने 4800/- रु0 ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 रु. के वेतन बैंड में कम से कम दो वर्ष तक कार्य किया है; या

(iii) जिसने 4600/- रु0 ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 रु. के वेतन बैंड 2 में कम से कम तीन वर्ष तक कार्य किया है और जो निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखते हों :-

आवश्यक :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य; और

(ii) किसी सरकारी कार्यालय या लोक निकाय या स्वशासी निकाय या केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक और स्थापन संबंधित कार्यों में एक वर्ष से अधिक का अनुभव।

बांझतीय :-

स्थापन संबंधी विषयों से संबंधित नियमों और विनियमों की जानकारी।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष की होगी, जो पांच वर्ष तक विस्तारित की जा सकती। तथापि, प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष होगी।

टिप्पण 3 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।

(12)

(12)		(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (नियुक्ति और प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-		लागू नहीं होता।
1. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान		-- अध्यक्ष
2. निदेशक/उप सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय		-- सदस्य
3. निदेशक/संयुक्त सलाहकार/उप सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला)		-- सदस्य
4. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान/उसका प्रतिनिधि, कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाला		-- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1* (एक) 2014 *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'ख'	वेतन बैंड 9300-34800/- रुपए धन 4600/- ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

(6)	(7)
30 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 35 वर्ष तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 33 वर्ष) (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।	आवश्यक महत्ताएं : एक विषय के रूप में कम्प्यूटर इंजीनियरी के साथ एम.सी.ए. या बी. टेक या बी.सी.ए. और सी.++, पास्कल, जावा, आदि प्रोग्रामिंग भाषाओं का उत्तम ज्ञान तथा इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर में प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर/वेबसाइट विकास में कम से कम दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय महत्ता : (i) कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग/सिस्टम डिजाइन/दिश्लेषण में औपचारिक प्रशिक्षण। (ii) एक या अधिक प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	--

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन/पुष्टिकरण) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान -- अध्यक्ष 2. गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधन प्रभाग का विषय से संबंधित निदेशक/उप सचिव -- सदस्य 3. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान -- सदस्य 4. एन.आई.सी. से निदेशक/उप सचिव स्तर का विशेषज्ञ -- सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. पुस्तकालयाध्यक्ष	1* (एक) 2014 *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'ख'	9300-34800/- रुपए धन 4600/- ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

(6)	(7)
30 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 35 वर्ष तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 33 वर्ष) (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्री। (ii) पुस्तकालय के कार्यकरण में कम्प्यूटर उपयोजन में प्रवीणता। (iii) पुस्तकालय प्रचालन में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	--

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन/पुष्टिकरण) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता।
1. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	-- अध्यक्ष
2. गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधन प्रभाग का विषय से संबंधित निदेशक/उप सचिव	-- सदस्य
3. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	-- सदस्य
4. पुस्तकालयाध्यक्ष, गृह मंत्रालय	-- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11. निजी सचिव	1* (एक) 2014 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'ख'	वेतन बैंड 9300-34800/- रुपए धन 4600/- ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

(11)
प्रोन्नति द्वारा : संस्थान के ऐसे आशुलिपिकों या वैयक्तिक सहायकों में से, जिनका ग्रेड वेतन 4200/- हो और जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।
या
प्रतिनियुक्ति द्वारा :-
केंद्रीय सरकार के अधीन निजी सचिव या आशुलिपिक या वैयक्तिक सहायक का पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी, :-
(क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 4200/- रु० या समतुल्य ग्रेड वेतन में आशुलिपिक ग्रेड 2 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।
और
(ख) जिनकी आशुलिपि (अंग्रेजी या हिंदी) में 120 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 50 शब्द प्रति मिनट की गति हो। अभ्यर्थी को बर्ड प्रोसेसर में काम करने में समर्थ होना चाहिए और केंद्रीय सचिवालय व्यवहार से सुपरिचित होना चाहिए।
टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई को, 56 वर्ष होगी।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन/पुष्टिकरण) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता।
(i) कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	-- अध्यक्ष
(ii) गृह मंत्रालय का निदेशक/उप सचिव (विषय से संबंधित)	-- सदस्य
(iii) संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	-- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12. वैयक्तिक सहायक/ आशुलिपिक	6* (छह) 2014 *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'ख'	9300-34800 रुपए धन 4200 ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

(6)	(7)
30 वर्ष (बतुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 35 वर्ष तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 33 वर्ष) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में किसी विद्याशाखा में स्नातक और जिनकी आशुलिपि (अंग्रेजी या हिंदी) में 100 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 50 शब्द प्रति मिनट की गति हो।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

(11)
<p><u>प्रतिनियुक्ति द्वारा :-</u> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्वशासी निकाय या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थान के अधीन आशुलिपिक का पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी--</p> <p>(क)(i) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने 2400/- २0 या समतुल्य ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड 1 में दस वर्ष की नियमित सेवा की है। और</p> <p>(ख) जिनकी आशुलिपि (अंग्रेजी या हिंदी) में 100 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 50 शब्द प्रति मिनट की गति हो।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष की होगी, जो पांच वर्ष तक विस्तारित की जा सकेगी। तथापि, प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।</p>

(12)	(13)
<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन/पुष्टिकरण) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>1. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान -- अध्यक्ष</p> <p>2. गृह मंत्रालय का निदेशक/उप सचिव (आपदा प्रबंधन), (विषय से संबंधित) -- सदस्य</p> <p>3. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान -- सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. कनिष्ठ अभियंता	1 (एक) 2014	समूह 'ख'	9300-34800/- रुपए धन 4200/- ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

(6)	(7)
30 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 35 वर्ष तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 33 वर्ष) (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।	(i) सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा। (ii) अनुरक्षण और सन्निर्माण कार्य में पांच वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती

(11)

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन/पृष्ठिकरण) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता।
1. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	-- अध्यक्ष
2. गृह मंत्रालय का निदेशक/उप सचिव (आपदा प्रबंधन); (विषय से संबंधित)	-- सदस्य
3. निदेशक/संयुक्त सलाहकार/उप सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	-- सदस्य
(iv) संयुक्त निदेशक	-- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14. अनुसंधान सहयोगी	4* (चार) 2014 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'ख'	9300-34800/- रुपए धन 4200/- ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

(6)	(7)
30 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 35 वर्ष तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 33 वर्ष) (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	आवश्यक जर्हता और अनुभव : (i) अर्थशास्त्र/शारीर विज्ञान/मनोविज्ञान/समाज विज्ञान/गणित/राजनीतिक विज्ञान/लोक प्रशासन/विधि/जैव सूचना/सूचना प्रौद्योगिकी/पृथ्वी विज्ञान/पर्यावरण विज्ञान/शहरी योजना तथा भू उपयोग में और तुल्य क्षेत्र में कम से कम 55% अंकों या समतुल्य क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) तुल्य क्षेत्र में दो वर्ष का अनुसंधान अनुभव।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।	बांछनीय बर्हता : सुसंगत विद्याशाखा में पी.एच.डी./एम.फिल.।
--	--

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती

(11)
--

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन/पुष्टिकरण) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- 1. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान -- अध्यक्ष 2. गृह मंत्रालय का निदेशक/उप सचिव (आपदा प्रबंधन), (विषय से संबंधित) -- सदस्य 3. आचार्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान -- सदस्य (iv) गृह मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला सुसंगत क्षेत्र का एक विख्यात विशेषज्ञ -- सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15. प्रशानतिक सहायक/कनिष्ठ सहायक	2* (दो) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'ख'	9300-- 34800 रुपए धन 4200 ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

(6)	(7)
30 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 35 वर्ष तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 33 वर्ष) (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विद्यशाखा में स्नातक और किसी सरकारी विभाग या स्वशासी निकाय या केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्था में कार्यालय प्रशासन/लेखा में तीन वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिन्हें अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा :-

(1) केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी--

(क)(i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या

(ii) जिन्होंने 5200—20200 के वेतन मान घन 2800 रु. ग्रेड वेतन या समतुल्य में के पदों पर छह वर्ष की नियमित सेवा की है ; और

(iii) जिनके पास सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष की होगी, जो पांच वर्ष तक विस्तारित की जा सकती है। तथापि, प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष होगी।

टिप्पण 3 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।

(12)

विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन/पुष्टिकरण) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

1. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	-- अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	-- सदस्य
3. गृह मंत्रालय का निदेशक/उप सचिव (आपदा प्रबंधन), (विषय से संबंधित)	-- सदस्य
4. प्रशासनिक/लेखा अधिकारी (पद की प्रकृति पर निर्भर रहते हुए)	-- सदस्य

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16. आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक	8* (आठ) 2014 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'ग'	5200—20200 रुपए धन 2400 ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

(6)

27 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 32 वर्ष तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 30 वर्ष)
(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।

(7)

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विद्याशाखा में स्नातक डिग्री या समतुल्य ;
(ख) आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए 8000 कुंजी दवाव प्रति घंटा से अन्यून की गति रखता हो।

टिप्पण : आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए 8000 कुंजी दवाव प्रति घंटा की गति का, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण मशीन पर गति परीक्षा का संचालन करके, निर्णय किया जाएगा।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा*	लागू नहीं होता

* 1. ये नियम केवल 5 पदों को लागू होंगे, क्योंकि अन्य 3 पद, गृह मंत्रालय पत्र सं0 35-7/2006-एन.डी.एम.-III(ए)/IV/III तारीख 8 फरवरी, 2011 के अनुसार, सेवाओं के आउटसोर्सिंग द्वारा भरे जाएंगे।

2. विद्यमान पदधारियों के पद रिक्त कर देने के पश्चात्, मांग गृह मंत्रालय पत्र सं० 35-7/2006-एन.डी.एम.-III(ए)/IV/III तारीख 8 फरवरी, 2011 के अनुसार, सेवाओं के आउटसोर्सिंग द्वारा पूरी की जाएगी।

(12)	(13)
<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन/पृष्टिकरण) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>1. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान -- अध्यक्ष</p> <p>2. गृह मंत्रालय का निदेशक/उप सचिव (आपदा प्रबंधन), (विषय से संबंधित) -- सदस्य</p> <p>3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान -- सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17. वीडियोग्राफर-सह-तकनीकी सहायक	1* (एक) 2014 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'ग'	5200—20200 रुपए धन 2400 ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

(6)	(7)
<p>27 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 32 वर्ष तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 30 वर्ष)</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या भादेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।</p>	<p>आवश्यक अर्हताएं :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री ;</p> <p>(ii) फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र ;</p> <p>(iii) फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>बांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से वीडियो और स्थिर कैमरा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर या ओवर हैड प्रोजेक्टर आदि के संचालन का अनुभव।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन/पृष्टिकरण) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>(i) संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान -- अध्यक्ष</p> <p>(ii) गृह मंत्रालय का निदेशक/उप सचिव (आपदा प्रबंधन), (विषय से संबंधित) -- सदस्य</p> <p>(iii) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान -- सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18. चालक	1* (एक) 2014 *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'ग'	5200—20200 रुपए धन 1900 ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

(6)	(7)
27 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 32 वर्ष तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 30 वर्ष) (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ; (ii) हल्के मोटर वाहनों के लिए किसी विधिमान्य चालन अनुमति का होना। (iii) मोटर यंत्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी वाहनों में छोटी मोटी खराबियों को दूर करने के योग्य होना चाहिए), और (iv) किसी हल्के मोटर वाहन के चालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन/पृष्ठिकरण) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान -- अध्यक्ष 2. गृह मंत्रालय का अवर सचिव (आपदा प्रबंधन), (आपदा प्रबंधन विषय से संबंधित) -- सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान -- सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19. नशीन प्रचालक	1* (एक) 2014 *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'ग'	5200—20200 रुपए धन 1900 ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

(6)	(7)
27 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 32 वर्ष तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 30 वर्ष) (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।	आवश्यक अर्हताएं : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा। वांछनीय अर्हताएं : फोटोकॉपी मशीन के प्रचालन में न्यूनतम एक वर्ष के अनुभव के साथ दक्षता।

(8)	(9)	(10)	(11)
नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा*	लागू नहीं होता

(12)	(13)
<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन/पुष्टिकरण) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--</p> <p>(i) संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान -- अध्यक्ष</p> <p>(ii) गृह मंत्रालय का अवर सचिव (आपदा प्रबंधन), (आपदा प्रबंधन विषय से संबंधित) -- सदस्य</p> <p>(iii) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान -- सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20. संदेशवाहक	8* (आठ) 2014 *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'ग'	5200—20200 रुपए धन 1800 ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

(6)	(7)
<p>27 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 32 वर्ष तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 30 वर्ष) (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख दिनापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।</p>	<p>आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण।</p> <p>बांझतीय :</p> <p>(i) मोटर साइकिल या तिपहिया वाहनों के लिए किसी विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति का होना ;</p> <p>(ii) मोटर साइकिल या तिपहिया वाहन के चालन का दो वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(iii) मोटर साइकिल या तिपहिया वाहन के मोटर यंत्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी वाहनों में छोटी मोटी खराबियों को दूर करने के योग्य होना चाहिए) ; और</p> <p>(iv) अंग्रेजी और हिंदी या उस क्षेत्र की, जिसमें संबंधित कार्यालय स्थित है, क्षेत्रीय भाषा को पढ़ने में सक्षम ; और</p> <p>(v) होम गार्ड या नागरिक स्वयंसेवी के रूप में तीन वर्ष की सेवा।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन/पुष्टिकरण) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--</p> <p>1. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान -- अध्यक्ष</p> <p>2. अवर सचिव (आपदा प्रबंधन), गृह मंत्रालय (विषय से संबंधित) -- सदस्य</p> <p>3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान -- सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21. पुस्तकालय परिचर	1* (एक) 2014 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'ग'	5200-20200/- रुपए धन 1800/- ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

(6)	(7)
27 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 32 वर्ष तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 30 वर्ष) (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन के वर्ष की 1 जुलाई होगी।	आवश्यक अर्हताएं : किन्हीं मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण। वांछनीय अर्हताएं : पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)	
विज्ञातीय प्रोन्नति समिति (चयन/पृष्ठिकरण) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता।	
(i) संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान		-- अध्यक्ष
(ii) अवर सचिव (आपदा प्रबंधन), गृह मंत्रालय (विषय के संबंधित)		-- सदस्य
(iii) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	-- सदस्य	

[सा.सं. 45-9/2014-एन.डी.एम.-11]

जी.पी.वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2014

G.S.R. 600(E).—In exercise of the powers conferred by section 43, read with section 75, of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

PART-I

Preliminary

- Short title and commencement.
 - These rules may be called the National Institute of Disaster Management Employees (Recruitment and Other Conditions of Service) Rules, 2014.
 - They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Definition.- In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005);

- (b) "academic staff" means the persons appointed to the faculty posts of (Research Associate, Assistant Professors, Associate Professors, Professors) and Consultants;
- (c) "appointing authority" in relation to any post in the Institute, means the authority competent to make appointment to that post.
- (d) "borrowed employee" means an employee of any authority whose services are obtained by the Institute on loan;
- (e) "employee" means a person serving in the Institute in any sanctioned post of the Institute;
- (f) "foreign service" means service for which an employee received with the approval of the appointing authority, his pay from any source other than the funds of the Institute;
- (g) "Institute" means the National Institute of Disaster Management constituted vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 1862E, dated the 30th October, 2006 ;
- (h) "pay" means the pay admissible on the relevant date and includes special pay and personal pay as well as deputation allowance in case of borrowed employees but does not include any other allowances, fee or honorarium;
- (i) "permanent post" means a post carrying a definite rate of pay sanctioned without limit to time;
- (j) "regular service" in relation to any grade means the appointment to a sanctioned post according to prescribed procedure and after completion of probation;
- (k) "sanctioning authority" means -
 (i) in relation to Group A posts: the Central Government;
 (ii) in relation to Group B and C posts: the Executive Director;
- (l) "schedule" means a schedule to these rules;
- (m) "temporary employee" means the service of a temporary employee in a temporary post or officiating service in a permanent post;
- (n) "temporary post" means a post carrying a definite rate of pay for a limited time;
- (o) "governing body" means the Governing Body of the Institute constituted under sub-section(4) of Section 42 of the Disaster Management Act, 2005

PART- II

TERMS AND CONDITIONS FOR RECRUITMENT

3. Name, number of posts, classification, etc.—The name, number, classification, pay band and grade pay of various categories of posts in the Institute shall be as specified in columns (1) to (4) of the schedule.
4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc. —The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters connected thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.
5. Initial Constitution.—
 (1) All employees appointed to various posts in regular pay band and grade pay shall be deemed to have been appointed under these rules to the respective posts with effect from the date of their service in the Institute.

- (2) The services rendered in the Institute by the employees referred to in sub-rule (1) shall be counted for the purpose of qualifying service for promotion, confirmation, period of probation and pension from the date of their service in the Institute.

PART- III
APPOINTMENT, RETIREMENT AND RESIGNATION

6. **Seniority.**-The seniority of employee in each category shall be determined by the order of merit in which they were selected for appointment to the grade, and shall be governed by their relative seniority obtained on the date of their initial appointment in the Institute.
7. **Probation.**-
- (1) Every employee appointed to a post in the Institute by direct recruitment shall be on probation for such period as specified in column (9) of the Schedule :
- Provided that the Executive Director may, for reasons to be recorded in writing and with the prior approval of the Central Government, extend the period of probation in such cases as may be considered necessary :
- Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken within eight weeks after the expiry of the probationary period and communicated in writing to the concerned employee together with the reasons for so doing.
- (2) The extended period of probation referred to in sub-rule (1), should not exceed half of the specified probation period in any case.
- (3) On completion of the period of probation or any extension thereof, employees shall, if considered fit for appointment, be retained in their appointments on regular basis and confirmed within eight weeks of the expiry of such probation.
- (4) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Institute is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, the Institute may discharge or revert the candidate to the post held by him prior to this appointment, as the case may be, or pass such orders as deem fit.
8. All appointments to various posts shall be made by the Institute with the prior approval of the Central Government.
9. **Certificate of fitness and antecedents.**- No person shall be appointed to any post by direct recruitment unless
- (a) he produces at his own cost a certificate of physical fitness in the prescribed format from a medical practitioner so authorised by the Institute:
- Provided that no such certificate shall be required in case of temporary appointments for a period of less than six months:
- Provided further that any extension beyond six months shall require a medical certificate of fitness.
- (b) the appointing authority is satisfied that he or she possesses good character and antecedents.
10. **Liability for service in any part of India.**-
- Employees of the Institute shall be liable to serve anywhere in India.
11. **Deputation.**- Any employee, who is appointed on deputation basis will be governed by the service rules of his parent cadre for the purposes of discipline, conduct, provident fund, pensionary benefits, leave, leave travel concession, group insurance scheme and related matters
12. **Disqualifications.**- No person -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment in the Institute.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

13. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by orders and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
14. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes and other backward classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
15. **Termination of Service.-**
- (1) The services of a temporary employee may be terminated by the appointing authority without assigning reasons-
 - (a) during the period of probation following the first appointment, and after such period of probation, and before confirmation at any time, by notice of one month in writing or on payment of pay for such period as the notice falls short of one month or at any time without notice on payment of one month's pay;
 - (b) in the case of temporary employee appointed for work in any project being implemented by the Institute including research projects, the manner of termination and the period of notice shall be as specified in the order of appointment
 - (2) Without prejudice to the provisions of clause (a) of the sub-rule (1), the services of a temporary employee shall terminate-
 - (a) if his appointment is made for a specific period, on the expiry of such period, or
 - (b) if his appointment is made against a temporary post, on the abolition of the post or on the expiry of the period for which the post is created.
 - (3) An employee who is given notice of termination of service under clause (a) of sub-rule (1) may be granted during the period of notice, at the discretion of the appointing authority such earned leave as may be admissible to him.
16. **Lien.-** A permanent employee of the Institute shall hold lien generally for not more than two years on the post substantively held by him provided his appointment in the other organisation was made through proper channel.
17. **Retirement.-** An employee shall retire from the institute -
 - (a) on his attaining the age of sixty years; or
 - (b) on his being declared medically unfit for service by a Medical Board to be designated by the Institute in this behalf.
18. **Voluntary retirement.-**
- (1) Employees of the Institute, who have put in not less than twenty years' qualifying service may, by giving notice of three months in writing to the appointing authority, retire from service voluntarily:
 Provided that a notice of less than three months may be accepted in deserving cases, with the concurrence of the appointing authority.
 - (2) If an employee applies for voluntary retirement while he is on leave not due, without returning to duty, the retirement shall take effect from the date of commencement of the leave not due and the leave salary paid in respect of such leave not due shall be recovered
 - (3) Before an employee gives notice of voluntary retirement, he shall satisfy himself by means of a reference to the Administration that he has, in fact, completed twenty years' qualifying service

- (4) A notice of voluntary retirement may be withdrawn subsequently only with the approval of the appointing authority provided the request for such withdrawal is made before the expiry of the notice.
- (5) A notice of voluntary retirement given after completion of twenty years' qualifying service will require acceptance by the appointing authority if the date of retirement on the expiry of the notice would be earlier than the date on which the employee concerned could have retired under the existing rules applicable to him.
- (6) Acceptance may be generally given in all cases except—
 - (a) where disciplinary proceedings are pending or contemplated against the employee and the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, is of the view that the imposition of the penalty of removal or dismissal from service would be warranted in the case; or
 - (b) where prosecution is contemplated or may have been launched in a Court of law against the employee concerned.
- (7) An employee giving notice of voluntary retirement may presume its acceptance by the appointing authority and the retirement shall be effective in terms of the notice unless the appointing authority issues an order to the contrary before the expiry of the period of notice.
- (8) Institute employees on deputation to other organisations shall not be eligible to apply for retirement during the period of such deputation.
- (9) An employee giving notice of voluntary retirement may also apply, before the expiry of the notice, for the leave standing to his credit which may be granted to him to run concurrently with the period of notice.

19. Resignation.-

- (1) A temporary employee may, by notice of one month in writing addressed to the appointing authority, resign from the service of the Institute.
- (2) A permanent employee may, by giving three months' notice in writing addressed to the appointing authority, resign from the service of the Institute:

Provided that the appointing authority may allow a notice of lesser period under certain special circumstances for resignation under this rule.

PART-IV PAY

20. Initial pay.-

- (1) An employee shall, on his appointment to a post, draw pay in the pay band and grade pay attached to that post:

Provided that the sanctioning authority may decide, subject to sub-rule (2), that employee shall draw pay at any higher stage in the pay band.

- (2) Fixation of pay band, grade pay or scale of pay of employees, appointed or promoted to the new posts involving the assumption of duties or responsibilities of greater importance or otherwise or transferred to another post on account of inefficiency or misbehaviour or on request shall be regulated on the analogy of the rules applicable to the Central Government employees from time to time.

21. Increments.-

An increment shall be drawn in the pay band of pay on 1st July of the year provided the employee has completed six months of service in that grade @ 3% of the sum of pay in pay band and grade pay applicable rounded off to next multiple of 10, unless it is withheld under the provision of these rules.

22. Service for increments.-The following service shall count for increments in the pay band of a post namely -

- (a) duty in that post or in any other post in the same or higher grade, whether continuous or not;
- (b) duty in an equivalent or higher post in foreign service; and
- (c) leave, other than extraordinary leave:

Provided that the sanctioning authority may direct that extraordinary leave shall also count for increments if it is satisfied that such leave was taken on account of illness or for any other cause beyond the control of the employee.

23. Pay during leave.-

- (1) An employee on casual leave or compensatory leave or quarantine leave shall draw pay as on duty.
- (2) An employee on earned leave, commuted leave, shall draw pay as drawn by him before proceeding on leave.
- (3) An employee on leave on half pay shall draw pay at half the rate of pay drawn by him before proceeding on leave.
- (4) An employee on study leave shall draw pay at such rate as may be specified by the Government of India.
- (5) No pay shall be admissible to an employee on extraordinary leave.
- (6) An employee shall draw leave salary equal to the pay drawn by him immediately before proceeding on earned leave.

24. Pay during suspension.-An employee under suspension shall, during the period of suspension, be paid subsistence allowance as admissible to an employee in the Government of India.

25. Special pay, personal pay, honorarium and fee.-The Institute may sanction to an employee, in any special circumstances, such special pay, personal pay, honorarium or fee on such conditions as may be determined by the sanctioning authority.

26. Drawal of pay.-

- (1) An employee shall be entitled to the pay of the post to which he is appointed from the date on which he assumes charge of the post.
- (2) The pay and allowances to the employees of the Institute shall be payable on the last working day of the month to which they relate, except for the month of March, which shall, however, continue to be payable on the first working day of April.
- (3) An employee resigning from the service of the Institute without the notice required under rule 21 shall not, unless the appointing authority directs otherwise, be allowed to draw pay due but not drawn.

Provided that the pay so not allowed to be drawn shall not exceed the pay for one month.

27. Bonus.-Payment of adhoc bonus to the employees of the Institute shall be at the same rate and subject to the same limits as applicable to the employees of the Central Government from time to time.

PART- V

ALLOWANCES

28. Allowances.-All allowances as admissible to the Central Government employees from time to time shall be admissible to the employees of the Institute at the same rates and on the same terms and conditions as applicable to the Central Government employees.

29. Suspension and subsistence grant.-Rules relating to suspension and subsistence grant thereof as applicable to Central Government employees shall also apply to the employees of the Institute.

30. Leave travel concession.-The employees of the Institute shall be entitled to leave travel concessions on the same terms and conditions as are admissible to the employees of the Central Government of equivalent grade from time to time.

31. Drawal of allowance.-

- (1) Dearness allowance, Transport allowance and house rent allowance admissible to an employee for any month shall be payable along with the pay of the employee.
- (2) Journey allowance, leave travel concession and daily allowance shall be settled in respect of the employees of the Institute subject to the provision of adjustment of advance, if any, drawn from the Institute.
- (3) An employee resigning from the Institute without the notice shall not, unless the appointing authority directs otherwise, be allowed to draw the allowance due but not drawn: Provided that the allowances not allowed to be drawn shall not exceed one month's allowances.

32. Deputation and training allowance.-

- (1) The employees of the Institute on deputation basis shall be given an option to either opt for the pay scale and other service benefits of the Institute or to retain their own pay scales and to get deputation allowance/training allowance as per the existing instructions of the Government of India on the subject.
- (2) Executive Director of the Institute shall draw sumptuary allowance at the rates admissible to Heads of Training Institutions of the Central Government.

PART- VI
FACILITIES

33. Outdoor medical facilities.-

- (1) Employees of the Institute shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation -For the purposes of this sub-rule, the expression "family" shall have the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

- (2) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month's pay as on 1st January of the year (Basic Pay + Dearness Allowance) whichever is less.
- (3) The claim should be supported by Doctor's prescription and the original cash memos or bills for treatment by the Doctor and purchase of medicines.
- (4) For employees of the Institute joining during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.
- (5) The outdoor treatment shall be taken from the Authorised Medical Attendants from the panel to be maintained by the Institute.

Indoor treatment.-

- (1) For the purpose of indoor treatment the employees of the Institute shall be entitled for medical treatment at hospitals authorised by the Institute in this behalf, and for this purpose cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility, etc. shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay.
- (2) The authorised hospitals for the purpose of sub-rule (1) above shall be the same as are available to the Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.
- (3) Treatment at authorised hospitals may be taken on the advice of the Authorised Medical Attendants except in emergency.

34. **Advances.**-The Government of India rules with regard to advances such as festival advance, motor car advance, personal computer advance, house building advance, fan advance etc., shall be applicable to the employees of the Institute as per the rates and subject to the same limits as applicable to the employees of the Central Government from time to time.

35. Group insurance.-

- (1) Employees of the Institute other than those on deputation, shall be entitled to Group Insurance in consultation with the Central Government.
- (2) Employees of the Institute appointed on deputation shall continue to be governed by the Group Insurance Schemes as are applicable to them in their parent Ministry or Department or Organisation.
- (3) The Institute shall recover contribution towards the Insurance schemes from the employees referred in sub-rule (2) and remit the amount immediately to the lending Ministry or Department or Organisation and any loss of interest on account of late remittance thereof shall be borne by the Institute.

36. Conveyance allowance.-The employees of the Institute shall be allowed the option to make use of an official vehicle or reimbursement of such amount as is admissible to the Central Government officers in equivalent pay and grade, for official work.

37. Telephone facility.-The Employees of the Institute shall be eligible for telephone facilities as admissible to officers of the Central Government drawing equivalent pay.

38. Expenses for official meetings.-The Employees of the Institute shall be eligible for expenses for official meetings as admissible to officers of the Central Government drawing equivalent pay.

PART VII

LEAVE

39. Leave rules.-The Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as applicable to Central Government employees shall also apply to the employees of the Institute.

40. Procedure for grant of leave.-

- (1) An employee shall before proceeding on leave, make an application in the form specified by the Institute and shall also state in writing his address and telephone number while on leave and shall keep the Institute informed of any subsequent change in such address.
- (2) The Executive Director shall be the competent authority to dispose of all applications for leave other than study leave.
- (3) In the case of Executive Director, the Central Government shall be the competent authority to sanction leave including study leave.
- (4) The Institute shall maintain a leave account in respect of every employee.

PART VIII

PENSION AND OTHER BENEFITS

41. (1) Pension.-The provisions of the New Pension Scheme, 2004 along with the various orders and directions issued thereunder by the Government of India shall be applicable to all the employees of the Institute.
- (2) Career advancement.- The provisions of career advancement as applicable to academic staff under the University Grants Commission shall be applicable to the academic staff of the Institute.
- (3) Modified Assured Career Progression.-The provisions of Modified Assured Career Progression Scheme as applicable to Central Government employees shall be applicable to the non-academic staff of the Institute.

PART IX

CONDUCT, DISCIPLINE AND PENALTIES

42. Conduct.-

- (1) The Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 shall also apply to the employees of the Institute.
- (2) The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, shall also apply to the employees of the Institute.
- (3) Except where specifically provided otherwise, the Governing Body of the Institute, shall exercise the same powers in respect of its employees as are exercisable by the President of the Union of India in respect of Central Government employees.
- (4) The appointing authority shall be the disciplinary authority and the powers of the appellate authority shall be exercised by the next higher authority.
- (5) In respect of the Central Government or State Government servant employees borrowed by the Institute, the provisions respectively of rules 20 and 21 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 shall apply.

43. Suspension.-

- (1) The appointing authority or any other authority superior to that authority may place an employee under suspension -
 - (a) where a disciplinary proceeding against him in respect of serious charge likely to result in a major penalty being inflicted, is contemplated or is pending; or
 - (b) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation or trial.
- (2) An employee who is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours shall be deemed to have been suspended, with effect from the date of his detention, by an order of the Appointing Authority and shall remain under suspension until further orders.
- (3) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule may at any time be revoked by the authority which made or is deemed to have made it or by any superior authority.

44. Power to impose penalties.-The authority specified in column (3) of the following Table shall be competent to impose the penalties specified in column (4) of the said Table namely:-

TABLE

Sl. No.	Category of Staff	Authority to impose penalties	Details of penalties
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	All Officers and staff in Group B and C	Executive Director	Major Penalties
2.	All Officers and staff in Group B and C	Joint Director	Minor Penalties
3..	Group A	Central Government	All Penalties

45. Special Provision regarding borrowed employees.-

- (1) Where an order of suspension is made or a disciplinary proceeding is commenced against a borrowed employee, the lending authority shall forthwith be informed of the circumstances leading to the order of suspension or commencement of the disciplinary proceedings, as the case may be.
- (2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding taken against such employee-

- (a) if the authority imposing the penalty is of the opinion that any of the major penalties should be imposed on him, it shall place his services at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry for such action as it deems necessary, and
- (b) if the authority imposing the penalty is of the opinion that any other penalty should be imposed on him, it may, after consultation with the lending authority, pass such orders on the case as it deems necessary:

Provided that in the event of a difference of opinion between the lending authority and the authority imposing the penalty, the service of the employee shall be placed at the disposal of the lending authority.

Explanation.—For the purposes of these rules, "lending authority" means the authority which has placed the services of the borrowed employee at the disposal of the Institute.

PART X

APPEALS AND REVIEW

46. Appellate authorities.—An appeal shall lie from any original order made by the Executive Director under these rules to the Central Government, and from an order made by an authority lower in rank than the Executive Director, to the Executive Director.

47. Period of limitation for appeals.—No appeal shall be entertained unless it is submitted within a period of forty-five days from the date on which the order appealed against is communicated to the person concerned:

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not submitting the appeal in time.

48. Form contents and submission of appeals.—

- (1) Every person submitting an appeal shall do so separately and in his own name.
- (2) The appeal shall be addressed to the appellate authority which shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies, shall not contain any disrespectful or improper language and shall be complete in itself.
- (3) Every appeal shall be submitted to the Executive Director who shall, unless he is himself the appellate authority, transmit it to the appellate authority.

49. Consideration of appeals.—The appellate authority shall consider every appeal and pass such orders as it deems proper in the circumstances of the case:

Provided that no order imposing an enhanced penalty shall be passed unless the appellant is given an opportunity of making any representation which he may wish to make against such enhanced penalty.

50. Review.—For the purposes of review, the procedure specified in the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal (CCA) Rules, 1965 shall also apply to the employees of the Institute.

51. Orders on re-instatement.—Where an employee who has been dismissed or suspended is reinstated, the authority reinstating him shall make an order specifying—

- (a) whether the employee may draw for the period of his absence from duty, any pay and allowances in addition to the pay and allowances admissible;
- (b) whether such period may be treated as a period spent on duty for all or any purposes.

PART XI

MISCELLANEOUS

52. Residential accommodation for employees.—

- (1) The employees of the Institute may be provided with unfurnished accommodation in its own premises after completion of construction of such buildings.

- (2) The employees of the Institute may be provided with unfurnished accommodation taken on lease by the Institute till such time its own campus is developed and buildings are constructed. Provided that the licence fee for such accommodation under this rule shall be charged in accordance with the provision of F.R. 45 A as amended from time to time.
- (3) Employees of the Institute including those taken on deputation shall be entitled for house rent allowance as admissible to the employees of the Central Government drawing similar pay.
53. **Holidays.**—The Institute shall observe such holidays as may be determined by the Central Government for offices situated in Delhi.
54. **Service books and character rolls.**—
- (1) The Institute shall maintain a service book and character roll of each employee in such form and setting out such particulars as may be specified by the Governing Body.
- (2) The entries in the service book of an employee shall be made by the authorised officer of the Institute.
- (3) The entries in the character roll of an employee shall be made according to the procedure laid down by the appointing authority.
55. **Delegation of power by Executive Director.**—The Executive Director may subject to the approval of the Governing Body, delegate any of the powers vested in him under these rules, to any of the officers of the Institute.
56. **Residuary conditions of service.**—Any matter relating to the conditions of service of an employee for which no provision is made in these rules shall be determined by the Institute.
57. **Interpretation.**—If any question relating to interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Central Government.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Executive Director	1(One)	Group 'A'	Pay Band-4 Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs. 10,000	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or short term contract or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Not applicable	Not Applicable	Not applicable	By deputation (including Short Term Contract)	By Deputation (including Short Term Contract) From amongst officers of the Central Government or the State Governments or Union territories or Statutory or Autonomous bodies ... or Universities or Institutes fully funded by the Central Government or State Government -	

				<p>(a) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience except in the case of candidates from All India Services.</p> <p>Essential :</p> <p>(i) Eighteen years administrative and academic experience in the Central Government or the State Governments or Union territories or Statutory or Autonomous bodies or Universities or Institutes fully funded by the Central Government or State Government with at least five years of holding an administrative/statutory or managerial position.</p> <p>(ii) Master's Degree in any subject.</p> <p>(iii) Knowledge and experience of not less than five years in fields related to disaster management.</p> <p>Desirable :</p> <p>Ph.D or M.Phil. in any subject related to disaster management.</p> <p>Note 1: Period of deputation shall ordinarily be for five years extendable upto seven years. However, the period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed seven years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including Short Term Contract) shall be 56 years as on the 1st July of the year of advertisement.</p>
				<p>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in marking recruitment</p>
			(12)	(13)
			Group 'A' Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of :-	Not applicable
			1. Union Home Secretary	-Chairman

2.	Secretary, (Border Management) or Special Secretary or Additional Secretary, In-charge of Disaster Management, Ministry of Home Affairs	-Member	
3.	Secretary, National Disaster Management Authority	-Member	
4.	Additional Secretary and Establishment Officer, Department of Personnel and Training	-Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Joint Director	1. (One)* *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Pay Band 4 Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs. 8700	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (Including Short-Term Contract).	By deputation (Including Short-Term Contract) From amongst the officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Statutory or Autonomous bodies or Universities or Institutes fully funded by the Central Government or State Government,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in pay band - 4, (Rs. 37400 - 67400 plus Grade Pay Rs. 8700) in the parent cadre; or (ii) five year regular service in Pay Band - 3 with Grade pay Rs. 7600, or (iii) ten year regular service in Pay Band - 3 with Grade pay Rs. 6600, and (b) possessing the following essential educational qualifications and experience except in the case of candidates from All India Services:- Essential: (i) Master's Degree in any subject and (ii) Five years' experience in Grade Pay of Rs. 7600 in PB-3, or five years administrative experience in an analogues post or minimum ten years of administrative experience in the Grade Pay of Rs. 6600 in PB-3 (Rs. 15600 - 39100) or Desirable:

				<p>Experience of not less than five years in the field of Disaster Management related training/administration.</p> <p>Note 1: Period of deputation shall ordinarily be for three years extendable upto five years. However, the period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 56 years.</p> <p>Note 3: The crucial date for deciding the age limit shall be 1st July of the year of advertisement.</p>
--	--	--	--	--

12	13
<p>Group 'A' Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary (Border Management) or Special Secretary or Additional Secretary, In-charge of Disaster Management Division, Ministry of Home Affairs -Chairman 2. Secretary / Special Secretary / Additional Secretary / Joint Secretary (Administration), National Disaster Management Authority -Member 3. Joint Secretary, (Disaster Management) of the Ministry, In-charge of Disaster Management -Member 4. Executive Director, National Institute of Disaster Management -Member 	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Professor	3 (Three)* *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Pay Band 4 Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs.10000	Not applicable	Not exceeding 55 years. Note: The crucial date for deciding the age limit shall be 1 st July of the year of advertisement.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Essential qualification:	Yes	One year for direct recruits	50% by promotion and 50% by deputation (Including Short-Term Contract) failing which by direct recruitment.	By Promotion: With eight years of service in the grade on regular basis and fulfilling the essential qualifications for the post as given in column (7). By deputation (Including Short-Term Contract): From amongst the officers or employees of the Central Government or State Government or Union Territories or Statutory or Autonomous Bodies or Universities or Institute fully	
(i) Master's Degree in Social Sciences / Environmental / Earth Science / Engineering / Disaster Management or allied subjects with at least 55% of the marks or its equivalent grade; and					
(ii) Ph.D with a consistently good academic record; and					
(iii) Published work of high quality, actively engaged in research and training with evidence of published work with a minimum of 10 publications as books and or research or policy					

<p>papers in indexed or International Standard Book Number/ International Standard Serial Number numbered journals and as International Standard Book Number/ International Standard Serial Number numbered books;</p> <p>(iv) A minimum ten years' experience in Post Graduate teaching or training and research at the University or National level Institution.</p> <p>(v) Contribution to innovation in training or education, design of new curriculum and courses, developing training modules and technology.</p> <p>Desirable qualification:</p> <p>(i) Experience of guiding candidates for research at Doctoral level.</p> <p>(ii) An outstanding professional, with established reputation in the relevant field, who has made significant contributions to the knowledge in the concerned or allied or relevant discipline, to be substantiated by credentials.</p>			<p>funded by the Central Government or State Government holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>Associate Professor with eight years of service in the Grade on regular basis and having the qualifications specified in column (7)</p> <p>Note 1: Period of deputation shall ordinarily be for three years extendable upto five years. However, the period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 56 years as on 1st July of the year of advertisement.</p> <p>Note 3: The crucial date for deciding the age limit shall be 1st July of the year of advertisement.</p>
---	--	--	---

(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation and promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Union Home Secretary; or Secretary (Border Management) -Chairman 2. Secretary / Special Secretary / Additional Secretary, National Disaster Management Authority -Member 3. Joint Secretary (DM), Ministry of Home Affairs -Member 4. Three eminent external experts in the field of disaster management to be nominated by Union Home Minister -Member 5. Executive Director, National Institute of Disaster Management -Member 	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Associate Professor	4. (Four)* Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Pay Band 3 Rs. 15600 - 39100 plus Grade Pay of Rs. 7600	Not applicable	50 years as on 1 st July of the year in which the advertisement is issued. Note: The crucial date for deciding the age limit shall be 1 st July of the year of advertisement.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Essential qualification: (a) Masters Degree in Social Sciences /Environmental/Earth Science/ Engineering/Disaster Management or allied subjects with at least 55% of the	Yes	One year for direct recruitment	50% by promotion and 50% by deputation (Including Short-	By Promotion: Promotion from amongst the Assistant Professors having ten years of service (or equivalent) or sixteen year

<p>marks or its equivalent grade; and</p> <p>(b) Good academic record with Ph.D. degree in the concerned or allied disciplines.</p> <p>(ii) Essential Experience :-</p> <p>(a) The faculty of Universities/Post Graduate Colleges holding analogous post on regular basis in the parent cadre; or</p> <p>(b) A minimum of 10 years of experience of teaching or of research in a regular position equivalent to that of Assistant Professor; and</p> <p>(c) With evidence of published work with a minimum of five publications as books or research or policy papers in Indexed or International Standard Book Number or International Standard Serial Number or numbered journals and as International Standard Book Number or International Standard Serial Number numbered books;</p> <p>(iii) Desirable experience: Contribution to innovation educational, design of new curricula, courses and developing training modules, and technology-mediated teaching learning process.</p>		Term Contract) failing which by direct recruitment	<p>service at the level of Research Associate (or equivalent) in the grade on regular basis with good academic record and fulfilling essential qualifications for the post as given in Col. (7).</p> <p>By deputation (Including Short-Term Contract):</p> <p>From amongst the officers / faculty members of the Central Government or State Government or Union Territories or Statutory or Autonomous Bodies or Universities or Institute fully funded by the Central Government or State Government holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>Assistant Professor with ten years of service in the Grade and having the qualifications specified in Column (7)</p> <p>Note 1: Period of deputation shall ordinarily be for three years extendable upto five years. However, the period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 56 years as on 1st July of the year of advertisement.</p>
---	--	--	---

(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Selection Committee (for considering appointment and promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary (Border Management) or Special Secretary or Additional Secretary, In-charge of DM Division, Ministry of Home Affairs -Chairman 2. Joint Secretary (Disaster Management), Ministry of Home Affairs - Member 3. Executive Director, National Institute of Disaster Management - Member 4. Advisor/ Joint Secretary, National Disaster Management Authority (to be nominated by Secretary, National Disaster Management Authority) -Member 5. One eminent external expert in the field of disaster management to be nominated by Home Minister -Member 	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Consultant	2 (Two)* Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Pay Band 3 Rs. 15600 39100 plus Grade Pay of Rs. 7600	Yes	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Yes	Not applicable	By Deputation (Including Short-Term Contract)	By Deputation (Including Short-Term Contract): From amongst the officers or employees of the Central Government or State Government or Union Territories or Statutory or Autonomous Bodies or Universities or Institute fully funded by the Central Government or State Government holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department. or Officers of the Central / State Government / Union Territories or Statutory or Autonomous Bodies or Universities or Institute fully funded by the Central Government or State Government in the Pay Band-3 (Rs. 15600-39100), Grade Pay of Rs. 6600 with five year service or officers of the Central / State Government in the Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) Grade Pay of Rs. 5400 with ten year of service and possessing the following qualifications:- Qualification :- (i) Essential:- 55% marks in Masters Degree from a Recognized University. (ii) Desirable :- Ph.D or M.Phil or at least one year training in the relevant field at national or international institution or organization. Note 1: Period of deputation shall ordinarily be for three years, extendable upto five years. However, the period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years. Note 2: Period of short term contract shall ordinarily be for three years extendable upto five years. Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 56 years as on 1 st July of the year of advertisement

(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary (Border Management) or Special Secretary or Additional Secretary, In-charge of DM Division, Ministry of Home Affairs -Chairman 2. Joint Secretary(Disaster Management), Ministry of Home Affairs -Member 3. Executive Director, National Institute of Disaster Management -Member 4. Advisor/ Joint Secretary , National Disaster Management Authority (to be nominated by Secretary, National Disaster Management Authority) -Member 5. One eminent external expert in the field of disaster management to be nominated by Home Minister -Member 	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Assistant Professor	8 (Eight)* subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Pay Band 3 Rs. 15600 - 39100 plus Grade Pay of Rs. 5400	Not applicable	35 years as on 1 st July of the year in which the advertisement is issued. Relaxable for Govt. Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for deciding the age limit shall be 1 st July of the year of advertisement.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
<p>Qualification :</p> <p>Essential :</p> <p>Masters Degree with 55% marks in Social Sciences / Environmental / Earth Science / Engineering / Disaster Management or allied subjects with at least 55% of the marks or its equivalent in Masters Degree with consistent good academic record.</p> <p>Desirable :</p> <p>(i) M.Phil or Ph.D. in the concerned or allied disciplines.</p> <p>Contribution to innovation educational, design of new curricula and courses, developing training modules, and technology-mediated teaching learning process.</p>	Yes	One year for direct recruitment	50% by promotion and 50% by direct recruitment or deputation (Including Short-Term Contract)	<p>By promotion From amongst the Research Associates with eight year experience on regular basis in the Institute. and fulfilling the educational qualification specified in column (7). Provided that in case of those with Ph.D the minimum service period will be six years.</p> <p>By deputation: From amongst the officers or employees of the Central Government or State Government or Union Territories or Statutory or Autonomous Bodies or Universities or Institute fully funded by the Central Government or State Government holding analogous post on regular basis in the parent cadre and possessing the education qualifications specified in column (7)</p> <p>Note 1: Period of deputation shall ordinarily be for three years extendable upto five years. However, the period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or</p>	

				some other organisation in department of the Central Government shall not exceed five years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 56 years as on 1 st July of the year of advertisement.
--	--	--	--	--

(12)		(13)
Group 'A' Departmental Selection Committee (for considering appointment and promotion) consisting of:-		Not applicable
1. Executive Director, National Institute of Disaster Management	- Chairman	
2. Director / Deputy Secretary, DM Division dealing with the subject Ministry of Home Affairs	- Member	
3. Director / Joint Advisor / Deputy Secretary, National Disaster Management Authority (to be nominated by Secretary, National Disaster Management Authority)	- Member	
4. One eminent expert member in the concerned subject/field to be nominated by Home Secretary	- Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Accounts Officer	1(One)* subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Pay Band-3 Rs. 15600 - 39100 plus Grade Pay of Rs. 5400	Not applicable	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Not applicable	Not applicable	Two Years	Promotion, failing which by deputation (Including Short-Term Contract).	Promotion :- The Assistants of National Institute of Disaster Management having Bachelor's Degree with at least eight years regular service in pay band-2 of Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200 and experience of dealing with Budget and Accounts matters for at least six years. Deputation (Including Short-Term Contract) :- (a) Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations - (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) worked for at least two years in the pay band-2 of Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4800; or (iii) has worked for at least three years in the pay band-2 of Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4600; and	

				<p>(b) possessing any one of following qualifications:-</p> <p>(i) has qualified the Subordinate Accounts Service or equivalent examination conducted by any of the Organised Accounts Departments of the Central Government; or</p> <p>(ii) successful completion of training in the Cash and Accounts Work in the Institute of Secretariat Training (ISTM) and Management or equivalent and one year experience in cash, accounts and budget works.</p> <p>Note 1 : Period of deputation shall ordinarily be for three years extendable upto five years. However, the period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 56 years.</p> <p>Note 3 : The crucial date for deciding the age limit shall be 1st July of the year of advertisement.</p>
--	--	--	--	---

(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Selection Committee (for considering appointment and promotion) consisting of :-</p> <p>1. Executive Director, National Institute of Disaster Management - Chairman</p> <p>2. Director / Deputy Secretary, Disaster Management Division) Ministry of Home Affairs - Member</p> <p>3. Director /Joint Advisor/ Deputy Secretary, NDMA (to be nominated by Secretary, NDMA) - Member</p> <p>4. Joint Director, NIDM/Representative to be nominated by ED, NIDM - Member</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Administrative Officer	1(One)(2013)* subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Pay Band -3 Rs. 15600 - 39100 plus Grade Pay of Rs. 5400	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Two Years	Promotion, failing which by deputation (Including Short-Term Contract)	Promotion :- The Assistant of National Institute of Disaster Management having Bachelor's Degree with at least eight years regular service in pay

				<p>band-2 of Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200 and experience of dealing with establishment and administrative matters for at least six years.</p> <p>Deputation (Including Short-Term Contract) :-</p> <p>(a) Officer of the Central Government or State Government or Union territory Administrations-</p> <p>(i) holding post analogous on regular basis;</p> <p>or</p> <p>(ii) has worked for at least two years in the pay band of Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4800;</p> <p>or</p> <p>(iii) has worked for at least three years in the pay band-2 of Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4600 and possessing the following qualification and experience :-</p> <p>Essential:</p> <p>Degree of a recognized University or equivalent; and</p> <p>Experience of administration and establishment related work for more than one year in a Government office or Public Body or Autonomous Body or Universities funded by the Central Government.</p> <p>Desirable :</p> <p>Knowledge of rules and regulations related to establishment matters.</p> <p>Note 1 : Period of deputation shall ordinarily be for three years extendable upto five years. However, the period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 56 years.</p> <p>Note 3: The crucial date for deciding the age limit shall be 1st July of the year of advertisement.</p>
--	--	--	--	--

(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation and promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Executive Director, National Institute of Disaster Management -Chairman 2. Director / Deputy Secretary, (Disaster Management) Ministry of Home Affairs -Member 3. Director /Joint Advisor / Deputy Secretary, NDMA (to be nominated by Secretary, NDMA) -Member 4. Joint Director, NIDM/Representative to be nominated by ED, NIDM -Member 	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Computer Programmer	1(One)2014* subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Pay Band-2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600	Not applicable	30 years (for SC / ST 35 years and for OBC 33 years) (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for deciding the age limit shall be 1 st July of the year of advertisement.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential Qualification: MCA or B. Tech or BCA with Computer Engineering as a subject and with good knowledge of programming languages like C++, Pascal, Java etc and at least two years of experience in programming on an electronic computer and software/ website development. Desirable Qualification: (i) Formal training in computer programming/ system design/ analysis; (ii) Knowledge of one or more programming languages.	Not applicable	2 years for direct recruits	Direct recruitment	

(12)	(13)
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of: 1. Executive Director, NIDM - Chairman 2. Director / Deputy Secretary (DM), MHA dealing with the subject - Member 3. Joint Director, NIDM - Member 4. Director/Deputy Secretary level Expert from NIC - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. Librarian	1(One)2014* Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Pay Band - 2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600	Not applicable	30 years (for SC / ST 35 years and for OBC 33 years) (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for deciding the age limit shall be 1 st July of the year of advertisement.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Bachelors Degree in Library Science form a recognized University or Institute. (ii) Proficiency in Computer Application in library functioning. (iii) Minimum two years of experience in library operation.	Not applicable	2 years	Direct recruitment	

(12)	(13)
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of : 1. Executive Director, NIDM 2. Director / Deputy Secretary (DM), MHA (dealing with subject) 3. Joint Director, NIDM 4. Librarian, MHA	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Private Secretary	1(One) 2014*subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Pay Band-2 Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion, failing with by deputation (Including Short-Term Contract)	By Promotion: From amongst Stenographers or Personal Assistants of the Institute with Grade Pay of Rs. 4200 with five Years regular service in the grade. or By deputation: Officers holding the post of Personal Secretary or Stenographer or Personal Assistant under the Central Government: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; Or (ii) with five years regular service in the stenographers grade 2 with Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department. And (iii) possessing a speed of 120 words per minute in Shorthand (English or Hindi) and Typing 50 w.p.m. Candidate should be able to handle Word processor, conversant with Central Secretariat Practices. Note 1: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 56 years as on 1 st July of the year of advertisement.

(12)	(13)
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of : 1. Executive Director, NIDM 2. Director/Deputy Secretary of MHA (dealing with the subject) 3. Joint Director, NIDM	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. Personal Assistant Stenographer	6(Six)2014* subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Pay Band-2 Rs.9300- 34800plus Grade Pay of Rs. 4200	Not applicable	30 years (for SC / ST) 35 years and for OBC 33 years) Note: The crucial date for deciding the age limit shall be 1st July of the year of advertisement

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Graduate in any discipline from a recognized University or Institute and possessing a speed of 100 words per minute in Shorthand (English or Hindi) and Typing 50 w.p.m	Not applicable	2 years for direct recruits	Direct failing which by deputation (including Short Term Contract)	<p>By Deputation:</p> <p>Officers holding the post of stenographer under the Central Government or State Government or any autonomous body or Institution funded by the Central Government or the State Government.</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department,</p> <p>Or</p> <p>(ii) with ten years regular service in the Pay Band 1 with Grade Pay of Rs. 2400 or equivalent, and</p> <p>possessing a speed of 100 words per minute in Shorthand (English or Hindi) and Typing 50 w.p.m</p> <p>Note 1: Period of deputation shall ordinarily be for three years extendable upto five years. However, the period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p>Note 2: Maximum age limit for appointment by deputation shall be 56 years.</p> <p>Note 3: The crucial date for deciding the age limit shall be 1st July of the year of advertisement.</p>

(12)	(13)
<p>The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of :</p> <p>1. Executive Director, NIDM -Chairman</p> <p>2. Director / Deputy Secretary (DM) MHA (dealing with subject) -Member</p> <p>3. Joint Director, NIDM -Member</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. Junior Engineer	1(One)2014	Group 'B'	Pay Band-2 Rs.9360-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200	Not applicable	<p>30 years (for SC / ST 35 years and for OBC 33 years) (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)</p> <p>Note: The crucial date for deciding the age limit shall be 1st July of the year of advertisement.</p>

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i) Diploma in Civil Engineering; (ii) Five years of experience in maintenance and construction work.	Not applicable	2 years	Direct recruitment	

(12)	(13)
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of: 1. Executive Director, NIDM 2. Director / Deputy Secretary (DM.), MHA (dealing with subject) 3. Director / Joint Advisor / Deputy Secretary, NDMA 4. Joint Director	Not applicable -Chairman -Member -Member -Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. Research Associate	4 (Four) 2014*subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Pay Band-2 Rs.9300- 34800 plus Grade Pay of Rs. 4200	Not applicable	30 years (for SC / ST 35 years and for OBC 33 years) (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for deciding the age limit shall be 1 st July of the year of advertisement.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential Qualification and Experience: (i) A Master Degree in Economics / Physiology / Psychology / Sociology / Mathematics / Political Science / Public Administration / Law / Bio Informatics / IT / Earth Sciences / Environmental Sciences / Urban Planning and Land Use, the relevant field with at least 55% marks or equivalent grading. (ii) Two years research experience in the relevant field. Desirable qualification: Ph.D. / M.Phil in the relevant discipline.	Not applicable	2 years	Direct recruitment	

(12)	(13)
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of: 1. Executive Director, National Institute of Disaster Management 2. Director/Deputy Secretary (DM), MHA (dealing with the subject) 3. Professor, National Institute of Disaster Management 4. One eminent Expert in the relevant field to be nominated by the Ministry of Home Affairs	Not applicable -Chairman -Member -Member -Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15. Administrative Assistant / Junior Assistant	2(two) 2014* *subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Pay Band-2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200	Not applicable	30 years (for SC / ST 35 years and for OBC 33 years) (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for deciding the age limit shall be 1 st July of the year of advertisement

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Graduate in any discipline from a recognized University or Institute with three years of experience in office administration/accounts in any Government Department or autonomous body or Institution funded by the Central or the State Government	Not applicable	2 years	Direct recruitment, failing which by Deputation (including Short Term Contract)	By Deputation: (1) Officers under the Central Government: (a) (i) holding analogous post on regular basis or (ii) with six years of regular service in posts in the scale of Rs.5200-20200 plus Rs.2800 Grade Pay or equivalent; and (iii) Possessing the educational qualifications and experience specified for direct recruits under column (7). Note 1: Period of deputation shall ordinarily be for three years extendable upto five years. However, the period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not exceed five years. Note 2: The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 56 years. Note 3 : The crucial date for deciding the age limit shall be 1 st July of the year of advertisement.

(12)	(13)
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of : 1. Executive Director, NIDM 2. Joint Director, NIDM 3. Director Deputy Secretary (DM), MHA (dealing with subject) 4. Administrative/Accounts Officer (depending on the nature of the post)	Not applicable. -Chairman -Member -Member -Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. Data Entry Operator	8 *(eight)2014 *subject to variation depending on work load	Group 'C'	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2400	Not applicable	27 years (for SC / ST 32 years and for OBC 30 years) (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for deciding the age limit shall be 1 st July of the year of advertisement.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(a) Bachelors Degree in any discipline from a recognised University or Institute or equivalent; (b) Should possess a speed of not less than 8000 Key Depressions per hour for Data Entry Work. Note 1 : The speed of 8000 Key Depressions per hour for Data Entry Work is to be judged by conducting a speed test on the Electronic Data Processing Machine by the Appointing Authority.	Not applicable	Two years	By direct recruitment*	Not applicable

*1. These rules shall be applicable for 5 posts only as other 3 posts are to be filled by Outsourcing of services as per MHA letter no. 35-7/2006-NDM-III (A)/IV/II dated 8th February, 2011.

2. After the present incumbents vacate the post, the requirement may thereafter be met by Outsourcing of services as per MHA letter no. 35-7/2006-NDM-III (A)/IV/II dated 8th February, 2011.

(12)	(13)
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of: 1. Joint Director, National Institute of Disaster Management -Chairman 2. Director/ Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs (dealing with the subject) -Member 3. Administrative Officer, NIDM -Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17. Videographer-Technical Assistant	1*(One) 2014* subject to variation depending on workload.	Group 'C'	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2400	Not applicable	27 years (for SC / ST 32 years and for OBC 30 years) (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note The crucial date for deciding the age limit shall be 1 st July of the year of advertisement.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential Qualifications:- (i) Bachelor's degree from a recognized University or Institution; (ii) Diploma / Certificate in Photography / Videography; (iii) Three years' experience as Photographer / Videographer. Desirable :- Experience in operating video and still camera, Liquid Crystal Display projector or Over Head Projector etc., from a recognised institution.	Not applicable	Two years	By direct recruitment	NA

(12)	(13)
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of : 1. Joint Director, National Institute of Disaster Management - Chairman 2. Director/ Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs (dealing with subject) - Member 3. Administrative Officer, NIDM - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18. Driver	1*(One)2014*subject to variation depending on workload	Group 'C'	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900	Not applicable	27 years (for SC / ST 32 years and for OBC 30 years) (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for deciding the age limit shall be 1 st July of the year of advertisement.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential: (i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board or Institution; (ii) Possession of a valid driving license for light motor vehicles; (iii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicles), and (iv) Experience of driving light motor vehicle for at least three years.	Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of : 1. Joint Director, National Institute of Disaster Management - Chairman 2. Under Secretary (DM), Ministry of Home Affairs (dealing with the subject) - Member 3. Administrative Officer, NIDM - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
19. Machine Operator	1*(One)2014* subject to variation depending on work load.	Group 'C'	Pay Band-1 Rs. 5200 - 20200 plus Grade Pay of Rs. 1900	Not applicable	27 years (for SC / ST 32 years and for OBC 30 years) (Relaxable for Government Servant upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for deciding the age limit shall be 1 st July of the year of advertisement.	
(7)			(8)	(9)	(10)	(11)
Essential Qualifications :- (i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board or Institution; and (ii) Certificate/Diploma in operating electronic gadgets from a recognized Institute or Industrial Training Institute (ITI). Desirable Qualifications :- Proficiency with minimum one year experience in operating and handling photocopier machines.			No	Two years	By direct recruitment*	NA

(12)	(13)
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of :- 1. Joint Director, National Institute of Disaster Management 2. Under Secretary (DM), Ministry of Home Affairs (dealing with subject) 3. Administrative Officer, NIDM	-Chairman -Member -Member Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. Messenger	8*(eight)2014* subject to variation depending on work load.	Group 'C'	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1800	Not applicable	27 years (for SC / ST 32 years and for OBC 30 years) (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note The crucial date for deciding the age limit shall be 1 st July of the year of advertisement.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential:- Matriculation or equivalent pass from a recognised Board or Institute. Desirable:- (i) Possession of a valid driving licence for Motor Cycle or Three Wheeler; (ii) Two years' experience in driving Motor Cycle or Three Wheeler; (iii) Knowledge of Motor Cycle or Three Wheeler mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in the vehicles); (iv) Ability to read English and Hindi or Regional language of the area in which the concerned office is situated; and (v) Three years' service as Home Guard or Civil volunteer	Not applicable	Two years for direct recruits	By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of :- 1. Joint Director, National Institute of Disaster Management -Chairman 2. Under Secretary (DM), Ministry of Home Affairs (dealing with subject) -Member 3. Administrative Officer, NIDM -Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21. Library Attendant	1*(One)2014 *subject to variation depending on workload.	Group 'C'	Pay Band-I Rs. 5200- 20200 plus Grade Pay of Rs. 1800	Not applicable	27 years (for SC / ST 32 years and for OBC 30 years) (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for deciding the age limit shall be 1 st July of the year of advertisement.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential Qualifications :- Matriculation or equivalent pass from a recognised Board or Institution. Desirable Qualifications :- Diploma in Library Science.	Not applicable	Two years	By direct recruitment	NA

(12)	(13)
The Departmental Promotion Committee (Selection/Confirmation) consisting of :- 1. Joint Director, National Institute of Disaster Management -Chairman 2. Under Secretary (DM), Ministry of Home Affairs (dealing with subject) -Member 3. Administrative Officer, NIDM -Member	Not applicable

[F. No. 45-9/2014-NDM-II]

G. V. V. SARMA, Jr. Secy.